777
12/12/12

खण्ड-11 संख्या-17

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(कार्यवाही भाग-2, प्रश्नोत्तररहित)

सत्यमेव जयते

मंगलवार

तिथि 27 जुलाई, 1993 ई०

पेंशन और विविध सामान्य सेवायें

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "पेंशन और विविध सामान्य सेवायें" के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 2,60,00,94,000 रु. (दो अरब, साठ करोड़, चौरानवे हजार) रु. से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग संख्या–13

सरकारी सेवकों आदि को उधार

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "सरकारी सेवकों आदि को उधार" के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 9,50,00,000 रु. (नौ करोड़, पचास लाख) रु. से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री लाल बाबू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कौल–अटेंशन का क्या होगा?

अध्यक्ष : 4.8.93 और 5.8.93 को सुबह 10 बजे से लगातार कौल अटेंसन चलेगा।

श्री उपेन्द्रनाथ दास : अध्यक्ष महोदय, 2 माननीय सदस्यों को प्रताड़ित किया गया था दारोगा द्वारा, उसके लिए सदन की कमिटी बनायी गयी थी और 10 दिन के अन्दर रिपोर्ट दे देनी थी। 10 दिन हो गया है और जांच भी हो गयी है, अगर हो गया है तो सदन चल रहा है....

अध्यक्ष : हमने कमिटी बना दी है लेकिन रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आयी है।

श्री उपेन्द्रनाथ दास : 10 दिन हो गया है हुजूर।

अध्यक्ष : जब हो जायेगा तो हम हाउस के सामने रख देंगे।

सामान्य लोक-हिंत के विषय पर विमर्श

(क) बिहार राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से राहत के सम्बन्ध में

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत श्री राजकुमार महासेठ, स.वि.स., श्री अम्बिका प्रसाद,

स.वि.स., श्री त्रिवेणी तिवारी, स.वि.स. और श्री रामाश्रय सिंह, स.वि.स. के सामान्य लोक हित के विषय पर यह सभा राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श करे।

श्री अम्बिका प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ– "कि यह सदन बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विचार-विमर्श करे।"

अध्यक्ष महोदय, नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण उत्तर बिहार में भयंकर रूप से पानी आ जाने के कारण बाढ़ की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस बाढ़ से उत्तर बिहार के सीतामढ़ी जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण और यहां तक कि कटिहार एवं पूर्णिया जिला भी प्रभावित हो गया है। यह अचानक बाढ़ का आना, माना यह प्राकृतिक विपत्ति है लेकिन नेपाल से जो पानी आया वह पानी यहां विकराल रूप धारण नहीं करता अगर जगह-जगह में जो बांध बने हुए हैं वह बांध तोड़ने में वह पानी सफल नहीं होता। बांध को तोड़-तोड़कर, जिनका विवरण देकर मैं समय नहीं लेना चाहता, यह पानी विशाल भू-भाग में फैल गया है और कम-से-कम दस लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इस बाढ़ से जो क्षति है वह करोड़ों में आंकी जा सकती है। इस बाढ़ के आने से पूरे उत्तर बिहार में जान की क्षति हुयी है और मैं कुछ इलाके में जो बाढ़ से लोग मरे हैं उसकी सूची मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सीतामढ़ी जिला के रीगा प्रखंड में कुल 8 (आठ) बाढ़ से मौत का शिकार हो सके हैं। रामापुर-1, पुपरी-2, मझौर-2, सलेमपुर-1, भगवानपुर-1, रेवानी-1 । दूसरा प्रखंड है: मेजरगंज जिसके हरपुर कला में-3, बड़हरवा-3, रतनपुर-2, रसलपुर-1, डुमरी-3, जहां तक मवेशी की सूचना मेजरगंज में है वहां एक भी मवेशी नहीं बची है।

(इस अवसर पर सभापति श्री राधाकांत यादव ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, इसके अलावा इन इलाकों में धन-जन की जो क्षति हुई हैं उसका विवरण अभी नहीं रख रहा हूँ, बाद में प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय बाढ़ में रहात के जो कार्य हो रहे हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जिन बांधों को आसानी से पानी ने तोड़ दिया, उनके कारणों की जांच करायी जाये और उन बांधों का निर्माण, मरम्मति और

रख-रखाव का काम किया जाये। सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चहाता हूँ कि जो लोग मर चुके हैं उन मरे हुए परिवार के आश्रितों को कम-से-कम सरकार एक लाख रुपया मुआवजा दे, मुआवजा अनुग्रह राशि के रूप में दे। इसी विधान सभा के पुस्तकालय कक्ष में विधान-सभा के अध्यक्ष महोदय ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यह मांग की गयी तो पुनर्वास एवं बाढ़ मंत्री श्री राम विलास सिंह ने कहा कि मरनेवालों को पांच-पांच हजार रुपया दिया जायेगा। सभापति महोदय, गोली से कोई मारा जाता है या किसी तरह की दुर्घटना में मारा जाता है तो वैसे लोगों को एक लाख का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सहाय्य कोड में यह बात लिखी हुई है जबकि यह सहाय्य कोड आज से पचास साल पहले बना हुआ है और उसमें अब तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ है। अगर पांच हजार रुपया ही सहाय कोड में लिखा हुआ है तो यह कोड आज से पचास साल पहले का बना हुआ हैतो दो लाख रुपया यही हिसाब से निकलता है। मैं तो एक लाख रुपया ही अनुग्रह राशि के रूप में देने की मांग करता हूँ। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार किया जाये जिन लोगों को अनुग्रह अनुदान की राशि दी जायेगी। बाढ़ के इलाके में जैसाकि मुझे मालूम हुआ है हेलिकॉप्टर से राशन मुहैया किया जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो जो बेड-2 मकान हैं उन्हीं मकानों पर सामान गिरा देता है। छोटे-छोटे झोपड़ियों वाले उन मकानों तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि सभी गांव का संबंध एक दूसरे से कट गये हैं और पानी से गांव घिरे हुए हैं। इसलिए राशन बांटने का प्रबंध नाव से बड़े पैमाने पर किया जाये। मोटर वोट का प्रबंध किया जाये और गांव-गांव में राशन की व्यवस्था की जाये। गांव के लोगों को पानी से निकाल कर ऊंची जगहों पर सड़कों पर और रीलीफ कैम्प में रखा जाये। और रीलीफ कैम्प में पूरा राशन देने की व्यवस्था की जाये। सभापति महोदय, बाढ़ का प्रकोप अभी घटा नहीं है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बाढ़ के इलाके में ऋण की वूसली को खत्म किया जाये बल्कि हम तो मांग करेंगे कि ऋण उनका माफी का एलान कर दिया जाये, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के जो क्षतिग्रस्त लोग हैं उनके ऋण को माफ कर दिया जाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि बाढ़ के समाप्त होने के बाद बड़े पैमाने पर महामारी फैलेगी इसलिए हर इलाके में डॉक्टर की टीम भेजी जाय, प्रचुर मात्रा में दवा-दारू का इंतजाम किया जाये जिससे आनेवाली महामारी को रोका जा सके। दूसरे इलाके से डॉक्टरों की टीम

बनाकर सिविल सर्जन को लगाकर, उस इलाके में महामारी रोकने, महामारी से उत्पन्न होनेवाली स्थिति की रोकथाम करने का प्रबंध किया जाये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : पूरा बिहार में आज बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति है। इसलिए सभी जगह ऋण वूसली बंद किया जाये और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि केवल बाढ़ ग्रस्त एरिया में ऋण वूसली बंद किया जाये।

श्री अम्बिका प्रसाद : रामाश्रय बाबू इतने पुराने और काबिल आदमी हैं, मैं नहीं समझता कि कैसे उन्हें भ्रम हो जाता है, बार-बार वे इस सवाल को उठाते हैं। अभी सुखाड़ पर नहीं, बाढ़ पर बहस हो रही है। अभी बाढ़ का सवाल है। सुखाड़ का सवाल नहीं आया है। मेरा तो कहना है कि बाढ़ और सुखाड़ सभी इलाकों में ऋण माफ होना चाहिए। लेकिन वे चाहते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ को मिलाकर बात किया जाये और बाढ़ के प्रकोप को कम करके आंकना चाहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि राज्य स्तर पर एक सर्वदलीय रीलीफ कमिटी बनायें, जिला और प्रखंड स्तर पर सर्वदलीय रीलीफ कमिटी बनायें और सहाय्य कार्य की देख-रेख की जाये क्योंकि आपके अधिकारी वर्ग जो हैं वे ऐसे बक्त में भी लूटने-खसोटने एवं रिलीफ का माल अपने घर पर रख लेते हैं। इस पर निगरानी रखें ताकि इसका वितरण सही ढंग से हों। सर्वदलीय रिलीफ कमिटी बनायी जाये। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि इन इलाकों के कॉलेज, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की, जिनकी पुस्तकें बर्बाद हो गई हैं, सही माने में जो गरीब हैं, मध्यवर्गीय हैं या अन्य लोगों को पुस्तकें मुफ्त में दें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ के इलाके में काम करें, बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से जो 5 अरब रुपये बाढ़ग्रस्त इलाके के लिये मांग की गई है मैं और मेरी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि बिहार सरकार को केन्द्र सरकार बाढ़ से मुकाबला के लिये 5 अरब रुपये का जल्द से जल्द मुहैया करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र : सभापति जी, बाढ़ के विषय में जो चिन्ता व्यक्त की गई है पिछले दिनों और मुख्यमंत्री की ओर से जो घोषणा की गई, उस संदर्भ में उस पृष्ठभूमि में आज सदन में विमर्श कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस राज्य में 10 मुख्य अभियंता का क्षेत्र है जिनके जिम्मे बाढ़ नियंत्रण का कार्य भी छोटे पैमाने

पर, बड़े पैमारे पर निर्धारित की गई हैं। सिंचाई विभाग के कार्यों की सूची में जो देख रहा हूँ, उससे ऐसा लगा कि इस वर्ष भी 93-94 साल में लगभग 200 स्थल का चयन इन्होंने किया था तटबंधों का सुदृढ़ीकरण करने के लिये, उस पर धन आवंटित भी किये गये थे। हमने जो अद्यतन जानकारी विभाग से ली है और विभाग के स्तर से यह पता चला है कि 193 स्थलों के लिये स्कीमें मंजूर भी हुईं और काम करने के आदेश दिये भी गये, इनमें से 156 पर कार्य प्रारंभ करने के लिय अंतिम आदेश भी हुये हैं, लेकिन अफसोस है, जो अब तक सूचना मिली है, लगभग 100 या 110 स्थलों पर ही मरम्मति के कार्य इनके हुये हैं- एक तो यह।

दूसरा यह है कि लगातार जब से यह जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो तटबंध हमारे राज्य के हैं, ये साढ़े तीन हजार कि.मी. से अधिक हैं, उनकी मरम्मति, रख-रखाव, संधारण के लिये आवंटन हुआ करता था। पिछले सालों में, उसमें काफी कमी आई है, जो धन-राशि इस योजना के अन्तर्गत आवंटित होती थी प्रत्येक साल लगभग 40 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिये धन आवंटित होते रहे हैं, वह धन राशि इन्होंने विमुक्त किया गया और धन का उपयोग भी किया गया, इसकी जानकारी जब हम लेते हैं तो लगता है कि इसमें एक खाई, (गैप) है। जो स्कीम मंजूर हुईं योजना आयोग से या जल आयोग की अनुशंसा पर या बिहार सरकार ने फिर मंजूरी दी और जो धन-राशि विमुक्त नहीं की गई, इस वजह से योजना की अधिसीमा घटने से काफी कठिनाई हुई है। जो स्थल है-कमलाबलान के तटबंध सुगौना और सोहराई तटबंध जो टूटे यह प्रत्यक्ष रूप से रख-रखाव का अभाव पाया गया, इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी हुई हैं, मंत्री जी ने अच्छी कार्रवाई की है। मैं। इसको मानता हूँ कि स्थानीय अधिकारियों की गैर-जिम्मेवारी से ये तटबंध टूटे। यह जो पश्चिम चम्पारण का बागमती का तटबंध टूटा है, बागमती का जो पुराना तटबंध है, इसके रख-रखाव नहीं होने की वजह से ये परिस्थिति बनी है। यह बात सही है कि नेपाल में अधिक वर्षा होने के वजह से बाढ़ आई, हर साल इन क्षेत्रों में बाढ़ नेपाल से ही आती है, 1987 में जो बाढ़ आई वह इससे कहीं ज्यादा भयंकर बाढ़ थी, उसकी तुलना में यह बाढ़ कम है चूंकि तटबंध का रख-रखाव एवं संधारण नहीं हुए जिसके वजह से ये तटबंध टूटे और इस इलाके के एक बड़ा भू-भाग भर गये। इस समय बिहार की जो हालत है, बिहार के कई जिले बुरी तरह इसमें प्रभावित हुये हैं। खासतौर से मधुबनी जिला के

सात प्रखंड बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दरभंगा जिला में 3 प्रखंड बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सीतामढ़ी के सभी प्रखंडों की हालत बहुत बुरी है जिनमें रीगा, बैरगेनिया की हालत बहुत ही खराब है। डुमरा, मेजरगंज, शिवहर, तरियानी, सोनवरसा सीतामढ़ी के ये सारे प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी चम्पारण के नौतन, बेरिया और योगापट्टी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल, मधुबन, ढाका, पताही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सुपौल जिला में तटबंध के बीच जो इलाके हैं जहां लगभग 5 लाख से ज्यादा आबादी रहती है कोशी का डिस्चार्ज बढ़ने के वजह से उस भू-भाग और उसके बाहर भी सुपौल और कटिहार जिला पर दबाब बना हुआ है। कटिहार में महानन्दा के समीप वर्ष 1987 में तटबंध टूटा था और उसके बाद जिस मजबूती से तटबंध्र का रख-रखाव होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसके लिए मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ चार्ज करता हूँ। पिछले तीन साल में बाढ़ सुरक्षा के कामों के प्रति सरकार ने उदासीनता बरती है। उसने तटबंध के रख-रखाव के काम में शिथिलता बरती है पदाधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। जब आप पुरानी संचिका देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें प्रावधान था कि मई माह तक सभी तटबं, जो बीते साल कमजोर हो चुके हैं, को पूरा कर देने का काम कर दिया जाता था। तीन साल से यह काम नहीं हुआ है। समय पर काम नहीं हुआ है। यह बाढ़ वर्ष 1990-91 की तुलना में बहुत बड़ी बाढ़ नहीं है। फिर भी आप पकड़ा गए। आप इसलिए पकड़ा गए कि तटबंध सुरक्षा का काम नहीं देखा। पिछले तीन साल में आपराधिक रूप से आपने उपेक्षा की है। बाढ़ पीड़ित इलाके में पुराने तटबंध का रख-रखाव और नए तटबंध का निर्माण के लिए जो धनराशि आवंटित हुआ लगभग साढ़े 360 करोड़ और लगभग 40 करोड़ रुपया सालाना दिया भी जा रहा है लेकिन उसके बावजूद पुराने तटबंध के रख-रखाव या नए तटबंध के निर्माण करने पर ध्यान नहीं दिया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तटबंध काफी पुराना हो गए हैं, तटबंध का तल ऊंचा हो गया है और बाहर गहरा होता जा रहा है। उस तटबंध का तल स्तर ऊंचा होता जा रहा है, उसमें थोड़ा पानी आ जाने से सारा पानी बाहर निकल जाता है। चूंकि तटबंध पुराना है। 1954, 1955, 1960 का है, इसलिए इन तटबंधों का विस्तार करना सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण के लिए बराबर अनुशंसा की गयी है। वर्ष 1965 में कमर्शियल कमिटी ने इस बात की अनुशंसा की थी। चूंकि कोशी तटबंध काफी पुराना हो चुका है और इस समय पश्चिमी कोशी तटबंध पर इतना दबाव पड़ गया है और कोशी का डिस्चार्ज 8-9

लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है, इसलिए पश्चिमी तटबंध टूटेगा तो संपूर्ण उत्तर बिहार जलमग्न हो जायेगा। पहले पूर्वी तटबंध पर दबाव था लेकिन पिछले साल इसका दबाव पश्चिमी तटबंध पर पड़ गया है। हनुमाननगर के पास गत वर्ष तटबंध टूटा था और इस पर सदन की समिति भी बनी थी। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि इसके रख-रखाव, संधारण और पदाधिकारी की जिम्मेवारी की कमी के कारण तटबंध टूटा था। कमिटी की रिपोर्ट में ये सारी बातें है। रिपोर्ट में स्थापित हुआ था कि रख-रखाव, संधारण और पदाधिकारी की जिम्मेवारी की कमी के वजह से तटबंध टूटा था। सिंचाई मंत्री ने सदन में एलान किया था कि तटबंध टूटे नहीं हैं जबकि समिति की रिपोर्ट में थी कि तटबंध टूटे थे। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन यह बात जरूरी है कि सिंचाई विभाग की जो त्तपरता हो सकती थी, तटबंध के रख-रखाव में, वह इस समय में नहीं हो रहा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, यह बात ठीक है कि साधन सीमित हैं, लेकिन उसमें आप बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता दीजिये। चूंकि जो क्षति हुई है, जो लोगों को कष्ट हुआ है, उसको हम और आप नहीं बांट सकते हैं। इसलिए साधन की कमी होने के बावजूद जो विभाग की ओर से मांग की जाती है, जो बाढ़ नियंत्रण के काम में लगे हुए हैं, उनको जा आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा कीजिये और फिर उसका अधीक्षण और निरीक्षण भी कीजिये। इस राज्य में अगस्त के महीना में और सितम्बर के महीना में भी बाढ़ आयी है, इसलिए आप यह नहीं समझिये कि बाढ़ का प्रकोप खत्म हो गया है, आप अभी से चौकसी बरतिये, आप तटबंध की सुरक्षा के बारे में काम कीजिये। पहले से यह व्यवस्था हुआ करती थी कि 24 घंटे तक तटबंध की हिफाजत की जाती थी और तटबंध पर विभाग का शिविर लगाया जाता था, पुलिस की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन हम देखते हैं कि वह मुस्तैदी न सिंचाई विभाग की तरफ से हुई और न जिला प्रशासन की तरफ से ही हुई, इसलिए तटबंध की हालत बहुत खराब रही। आगे आपको और अधिक कठिनाई हो सकती है। इसलिए अभी से तटबंध को बचाने के लिए उपाय कीजिये, ताकि तटबंध नहीं टुटे। सभापति जी, मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ कि इस साल बाढ़ से तटबंध टूटने के लिए आपकी सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं, आपके पदाधिकारी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने चौकसी नहीं बरती, या जो मरम्मती के काम में आयी गिरावट या जो ह्रास हुआ, जिसके कारण तटबंध्र टूटा। कई तरह की बातें आती हैं, उसपर आपको ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक राहत का सवाल है, उसके बारे में मैं कहना

चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अभी तक अनाज नहीं पहुंचा है, क्यों नहीं पहुंचा है? सभापति जी, सीतामढ़ी में कल या परसों हम जा रहे हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, जिसके कारण अनाज नहीं पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप पहले के राहत की संचिकाओं को देखिये, अभी तक प्रावधान था कि मार्च से ही बाढ़ से पहले सभी प्रखंड मुख्यालय में अनाज का भंडार कर दिया जाता था, अभी तक यही व्यवस्था थी। सभी जिला पदाधिकारियों को बाढ़ से निबटने के लिए राशि दे दी जाती थी, सिंचाई विभाग को अनुदान दे दिया जाता था, पुराने नाव को किराये पर लेने के लिए, पुराने नाव की मरम्मती के लिए, गत साल चूंकि बाढ़ नहीं आयी थी, इसलिए आपने प्राथमिकता नहीं दी। सभापति जी, कुल 64 लाख हेक्टेयर भू-भाग ऐसा बर्बाद है, जो बाढ़ प्रोन है, जैसा कि मैंने बताया, हर जगह राशन, नाव रहना चाहिए था और अनाज का भंडार रहना चाहिए, नहीं तो अभी जो अनाज की कठिनाई हो रही है, वह और भी होगी। हम और आप इसका अनुभव कर रहे हैं, वह इसलिए कि कम्युनिकेशन लाइन टूट गया है। आप सिर्फ हेलीकॉप्टर से सभी जगह अनाज गिरा नहीं सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार आप हेलीकॉप्टर से अनाज सभी जगह गिरा नहीं सकते हैं। आप अपनी तरफ से या सहाय्य विभाग को हिदायत कीजिये, जो गलती हुई, उसके लिए कौन जिम्मेवार हैं। जो परिपाटी बनी हुई थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए, प्रखंड में अनाज का पर्याप्त भंडार कर दिया जाय, नाव की व्यवस्था कर दी जाय और उसी तरह से मल्लाह की शिकायत है कि मल्लाह जो बाढ़ के समय में काम करते थे, उनका भुगतान समय पर नहीं हुआ है। पुराने समय का पैसा मल्लाहों का बाकी है। इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि नाव की व्यवस्था जो आप कीजियेगा, उसमें आपको मल्लाहों को परेशानी होगी, इसलिए बाढ़ इलाके में नाव की व्यवस्था कीजिये, चारो तरफ जिल इलाकों में बाढ़ नहीं है, उन इलाकों से नाव मुहैय्या कराइये, नाव वहां पर भेजिये। अनाज भेजने के लिए कम्युनिकेशन बनाइये। अभी आपको बड़ी संख्या में मजदूर एवेलेबुल हो सकते हैं। आप इमरजेंसी के तौर पर सड़कें बनवायें। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आर्मी को कहिये और इसके लिए भारत सरकार से सम्पर्क करिये क्योंकि कठिन से कठिन जगहों में भी आर्मी रास्ता बना देती है इसलिए जब रास्ता आप नहीं बना सकें तो अपने स्तर से भारत सरकार को सूचना दीजिये। सभी प्रखण्डों में आप अनाज के भंडार की व्यवस्था करिये। हेलीकॉप्टर से लाखों लोगों को आप अनाज नहीं दे सकते हैं इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि राहत के कार्यों को आप प्राथमिकता

दीजिये। आपने जो बयान दिया असेम्बली में तो उससे लोगों को उम्मीदें बनी कि सहायता पहुंचेगी लेकिन उसके बावजूद अनाज नहीं पहुंचा है तो इससे लोगों में मायूसी बढ़ जाती है। असेम्बली में बात उठी थी, मुख्यमंत्री का जवाब हुआ, मुख्यमंत्री ने एलान किया है उसके बावजूद अनाज नहीं पहुंचा, और पानी बढ़ता चला जा रहा है। कल की सूचना थी कि नेपाल में बारिश हो रही है, वर्षा होने पर बहुत सारा इलाका फिर भर जायेगा। बासोपट्टी और मधुबनी के 7 प्रखण्डों में, दरभंगा के जो मनिगाछी के कुशेश्वर के अलीनगर में, बेनीपुर के बेहड़ा के घनश्यामपुर के सभी प्रखंड प्रभावित होने वाले हैं। समस्तीपुर के इलाके में कुशेश्वर होते हुए पानी का बहुत बड़ा हिस्सा रोसड़ा की तरफ, दलसिंहसराय की तरफ काफी फैल जा सकता है इसलिए आगे इन इलाकों में पानी जाने की संभावना है। उसी तरह से पश्चिम और और पूर्वी चम्पारण में भी, आपका जिला गोपालगंज और सिवान भी बाढ़ प्रभावित होने वाले हैं। वहां पर भी पानी जा सकता है। चूंकि तटबंध की कमजोरी की वजह से पानी संपूर्ण उत्तर बिहार में आयेगा और इससे संपूर्ण उत्तर बिहार जलमग्न हो जायेगा। इसलिए जो माननीय सदस्य उत्तर बिहार का जौग्राफी नहीं जानते हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं हो सकता है बाढ़ के बारे में। सुखाड़ की भी हमें चिन्ता है लेकिन बाढ़ से जिस तरह से जान-माल पीड़ित है उस से लोगों का जीवन कठिन हो जाता है, पानी से लोग मर जाते हैं, सारी सम्पत्ति डूब जाती है, मवेशी इधर-उधर चले जाते हैं और बाढ़ से प्रभावित लोगों की तकलीफें इतनी बढ़ जाती हैं कि वह भयानक चित्र उपस्थित करता है। इसलिए सरकार की तरफ से तत्परता होनी चाहिए कि जो सहायता राशि हो वह पहले से जिला पदाधिकारियों को दे दी जाय और राशन की पूरी व्यवस्था उन जिलों में की जाय। जिला पदाधिकारी को आप रुपया दे देंगे लेकिन जब वहां अनाज का भंडार नहीं पहुंचेगा तो वह क्या करेंगे। इसलिए जैसा कि आपने 50-50 लाख रुपया देने का ऐलान किया था वह जिला पदाधिकारियों को मिला कि नहीं और मिल भी जायेगा तो रुपया से वह अनाज नहीं दे सकता है। उसी तरह से मवेशी की समस्या है। मवेशी के चारा की समस्या है। मवेशी के लिए चारा आप कैसे उपलब्ध करियेगा। आप अगल-बगल के जिलों से यह व्यवस्था कर सकते हैं। जिन जगहों में धान की रोपनी हो सकती है वहां के किसानों की आप मदद बिचड़ा देकर कर सकते हैं। चूंकि जिन इलाकों में बाढ़ आयी है वहां सुखाड़ भी था। अभी पानी होने से वहां रोपनी हो सकती है। क्या सरकार का कृषि विभाग कोई मदद कर सकता है किसानों की, इसलिए जहां बाढ़

का पानी आया है और पानी की वजह से खेती की संभावना हो गयी है सरकार वहां के किसानों को बिचड़ा दे, उनके पास पूंजी नहीं है इसलिए अल्पकालीन ऋण मुहैय्या कराये। इन सब बातों की ओर भी आपका ध्यान आना चाहिए, इन सब बातों में आपको तफसील से सोचना चाहिए और सभी किसानों की मदद होनी चाहिए। जैसा रामाश्रय बाबू कह रहे थे आपने एलान कर दिया था कि तमाम सुखाड़ प्रभावित इलाकों में और बाढ़ प्रभावित इलाके में किसी प्रकार की सरकारी बकाये की वसूली नहीं होगी लेकिन अभी आपका आदेश जिला स्तर पर नहीं पहुंचा है, इसलिए सुखाड प्रभावित इलाके से शिकायतें आ रही हैं। जबर्दस्ती वहां बकाये की वसूली की जा रही है। विधान सभा में आपने आश्वासन दे दिया, घोषणा कर दिया तो आपका आदेश हो जाना चाहिए और विधान सभा की समिति अध्यक्ष जी ने बनायी है और उस समिति की अनुशंसा होने वाली है। 10 हजार रुपये की माफी के सारे सबूत राज्यपाल जी के अभिभाषण और मुख्यमंत्री के बजट भाषण से उद्धृत करके हमलोगों ने दिए हैं इसलिए कर्ज माफी के बारे में अन्तिम फैसला लेकर अपने पदाधिकारियों को सूचित कर दें। लेकिन इस समय किसी प्रकार के सरकारी बकाये की वसूली पूरे सुखाड़ प्रभावित इलाके में बंद कर देना चाहिए। आपने स्वयं एलान किया था कि बिहार में 90 प्रतिशत इलाके में सुखाड़ है और 10 प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित है तो सारा बिहार प्रभावित हो गया है इसलिए त्तकाल कार्रवाई करिये और संपूर्ण उत्तर बिहार को आप सिगनल दीजिये, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहर्षा, मधेपुरा, सुपौल, समस्तीपुर, बेगुसराय और पुराना छपरा जिला का तीनों जिला सभी बुरी तरह से प्रभावित आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं इसमें सिंचाई मंत्री थोड़ा सतर्कता बरतें। अपने मुख्य अभियंताओं को आदेश दें, उन्हें पदाधिकारी दें, जिम्मेवारी दें अब अगर आगे तटबंध टूटेगा, अगस्त और सितम्बर में तो लोग किसी को माफ नहीं करेंगे और बिहार विधान सभा भी मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को माफ नहीं करेगी। चूंकि सारी चेतावनी के बाद अगर तटबंध टूटता है और लोगों को परेशानी होती है इसलिए सिंचाई मंत्री ने पहले कहा था कि कोई तटबंध नहीं टूटेगा, इस साल भी एलान किया था कि कोई तटबंध नहीं टूटेगा लेकिन अनेक स्थानों पर टूट गया है वागमती का, गंडक का, फिर हमारा कमला बलान का टूट गया है और आगे भी इनपर दबाव जारी है। जितने तटबंध है सब पर दवाव जारी है। किसी क्षण टूट सकता है इसलिए एलान मत करिये, घोषणा मत करिये और काम करिये तथा तटबंधों की हिफाजत करिये ताकि बिहार के लोग

उम्मीद करें कि बिहार सरकार उनके प्रति सतर्क हैं, संवेदनशील हैं और जनता के दुख-दर्द को आसानी से दूर कर सकती है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा गम्भीर बनिये लेकिन आपने गंभीर से गंभीर काम को भी हास्यास्पद बना दिया है इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वह इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए बाढ़ की काफी गंभीर समस्या है और अगस्त-सितम्बर का जो समय है उसको पूरी सावधानी से उपयोग करें और सारे विभागों को आप आदेश दें कि आपके आदेश के अनुसार राहत का काम करें।

महोदय, हेलीकॉप्टर से काम सही रूप से नहीं हो रहा है। परसों हमको सूचना मिली कि आधा हेलीकॉप्टर खाली चला जाता है। इसलिये हेलीकॉप्टर का पूरा उपयोग होना चाहिये। जैसी सूचना मिली है कि कल पूरी सीतामढ़ी में हेलीकॉप्टर नहीं गया। आपने कहा कि दरभंगा में हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देंगे लेकिन नहीं हुआ। तो जो एलान आप रेडियो और अखबारों के माध्यम से करते हैं, उसका पालन होना चाहिये। बीमारी की समस्या अलग है, खासकर बच्चों की बीमारी और मवेशियों की बीमारी। इसलिये बाढ़ से जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं उसमें बीमारी भी है। अपने पदाधिकारियों को विश्वास में लीजिये और एक-एक काम एक-एक पदाधिकारी के जिम्मे लगाइये और युद्ध स्तर पर इस भयंकर बाढ़ के प्रकोप से मुकाबला करने की तैयारी की जाय।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, इरीगेशन का डिमांड है क्या? इरीगेशरन के मिनिस्ट हैं, रिलीफ के मिनिस्टर क्यों नहीं हैं?

सभापति : मुख्यमंत्री हैं, संयुक्त जवाबदेही होती है। माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ झा जी आप बोलें।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, एक अत्यंत गंभीर स्थिति के संबंध में इस सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य, अम्बिका बाबू और नेता विरोधी दल ने जिन बातों का जिक्र किया है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ।

महोदय, स्थिति बाढ़ के कारण काफी गंभीर है। 21 तारीख की सुबह सीतामढ़ी जिले में बाढ़ आयी और जैसा कि बताया गया कि नेपाल में जो भारी वर्षा हुई उसका असर बागमती के इनकोचमेंट एरिया में भयंकर बाढ़ आयी।

महोदय, जैसा हमलोगों के तरफ लोग कहते हैं कि पिछले 30 वर्षों में, 1954 में जो बाढ़ आयी थी, उस समय तटबंध नहीं था, बाढ़ का फैलाव दूर-दूर तक हो गया लेकिन तटबंध के टूटने के कारण इस बार भयंकर स्थिति मेजरगंज प्रखंड के 5-7 पंचायतों में और बैरगनिया प्रखंड के 5-7 पंचायत के गांव के गांव दह गये। सामान चला गया। माल मवेशी दह गए और जिला प्रशासन ने जो सूची जारी किया है वह 33 आदमी के बाढ़ में मरने की सूचना लोगों को दी गयी है। महोदय, अभी भी बहुत सा एरिया है जहां हम नहीं जा सके हैं। यह सत्य है कि पिछले 1987 से लेकर 1992 तक बड़ी बाढ़ सीतामढ़ी जिले में नहीं आयी। हमारे गांव में 100-100 नाव लोग रखते थे। सरकारी नाव भी रहता था। प्राइवेट नाव भी रहता था। लेकिन इस बार एक भी नाव नदी के किनारे जो गांव है, जो सक्षम लोग थे, वे भी एक भी नाव नहीं रखे थे। इसके कारण भी लोगों को परेशानी बहुत है। पश्चिम सीतामढ़ी जिला है, सदर सबडीविजन और शिवहर सब डीविजन का तीन प्रखंड डुमरी, तरियानी, पीपहर उसी तरह से मेजरगंज, बैरगैनिया, रीगा, बथनाहा, रुन्नीसैदपुर के लोग भयंकर बाढ़ से आक्रांत हैं। जिला प्रशासन की रिपोर्ट है कि 500 गांव में दस लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है।

सभापति महोदय, मैं सरकार को बाधाई देना चाहती हूँ कि सरकार ने बड़ी मुस्तैदी बरती और राहत कार्य किया। 21 तारीख को बाढ़ आयी, 22 तारीख को हमलोगों ने सवाल को उठाया। मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को देखने गये, सिंचाई आयुक्त, सिंचाई मंत्री सारे लोग हेलीकाप्टर से देखने गये। मैं भी था, हमलागों ने देखने का काम किया। सीतामढ़ी जिला प्रशासन को मुस्तैदी से राहत पहुंचाने का निदेश हुआ। लेकिन आज भी वहां कठिनाई यह है कि आज भी बहुत सारा एरिया में गावं में हमलोग पहुंच नहीं सकते हैं चूंकि सड़क बहुत डैमेज है। चाहे पी० डब्लू० डी० की सड़क हो, आर० ई० की हो या ग्रामीण विकास की सड़क हो, सड़कें क्षतविक्षत हो गया है। उन सड़कों को युद्ध स्तर पर बनाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हम गांवों में गये हैं, देखे हैं, भयंकर रूप से माल-मवेशी जो बहकर आये हैं, नेपाल से जो मवेशी बहकर आये हैं वे मरे हुए हैं, गाछ में लगे हुये हैं, सड़ रहे हैं, नेपाल के हों या यहां के हों कहीं-कहीं फंसे

हुए हैं और सड़ रहे हैं। महोदय, हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि 15-20 पंचायत मुश्किल से होगा जिसके लिये रिलीफ के कानून को कुछ समय के लिए इगनोर करना होगा और रिलीफ देना होगा। जो संपत्तिवाले हैं। उनका भी कुछ नहीं बचा। छत का मकान था वे छत पर चढ़कर स्त्री-पुरुष अपनी जान बचाये। हरपुर, पहड़वा, रसूलपुर आदि गांवों को अपनी जान बचाने का काम किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाने का काम हो। फिर हेल्थ का भी काम होता है। स्वास्थ्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बाढ़ क्षेत्र में डॉक्टरों की एक बड़ी टीम को भेजें। वहां मवेशियों की बीमारी भी फैलने वाली है। चारा समाप्त है। कोई गांव में मवेशी को चारा नहीं मिल रहा है। चारे का प्रबंध होना चाहिये। बीज लोगों को मिलना चाहिये, सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिये। जो लोग बाढ़ में मरे हैं उनके परिवार के आश्रितों को एक-एक लाख का मुआवजा सरकार दे। 11 स्थानों पर बागमती का तटबंध टूटा है। मंजरगंज, बैरगेनिया में पानी का प्रवेश हुआ। चंपारण के चार प्रखंड ढाका, पताही, पकड़ीदयाल और मधुबन प्रभावित हुआ। माननीय सदस्य, श्री हिंद केशरी यादव के निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले में पानी प्रवेश कर रहा है। मुजफ्फरपुर के औराई की ओर पानी प्रवेश कर रहा है। माननीय सदस्य, श्री अवनीश कुमार सिंह का गांव क्षत-विक्षत हो गया है। उस गांव में 7-8 हजार वोट है और उस गांव की आबादी करीब पन्द्रह हजार है वह गांव भी क्षत-विक्षत हो गया है। महोदय, बैरगनिया जो सीतामढ़ी का महत्वपूर्ण एरिया है चारों तरफ से टूटा हुआ है। रेल लाइन टूट गया, इसके लिये हम किसी को दोष नहीं देते हैं। हम चाहेंगे कि बैरगेनिया को मुख्यमंत्री जी मोतीहारी से सामान भेजने का काम करें। रेलवे का कहना है कि रेलवे लाइन ठीक होने में कम से कम 20-25 दिन लगेगा रेलवे लाइन को बैरगेनिया पहुंचाने के लिये। हम सिंचाई मंत्री जी से कहेंगे कि जो तटबंध टूटा है उसको जल्द से जल्द बनाने का काम कीजिये अन्यथा थोड़ी और वर्षा होगी तो फिर से पानी फ्लडेड कर देगा और लोगों को परेशानी हो जायेगी।

महोदय, हमलोग गांव में गये थे, लोग कहते थे कि टूटा हुआ बांध रहने दीजिये, जो होना था मुसीबत झेल लिया। वे कहते हैं कि बांध को सदा के लिये कटवा दें। उनका कहना है कि बराज का जो स्कीम है, बागमती पर वह बने नहीं तो पूरे तटबंध को कटवा दीजिये इससे जो पानी आयेगा उससे नुकसान या जो

फ़ायदा होगा, उसको देख लेंगे।

महोदय, चंपारण के माननीय सदस्य बैठे हैं, इनके घोड़ासाहन क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप हुआ है। मधुबनी और सुपौल में भी वही स्थिति है। गंडक के प्रकोप से पश्चिम चंपारण के मधुबन, सुपौल में पानी आया है। यह स्थिति बनी है। आवश्यकता है सभापति महोदय कि सड़कों को चुस्त-दुरुस्त किया जाय, उसकी मरम्मती वार फुटिंग पर करायी जाय। सरकार कहीं से भी जल्दी वहां रास्ता बनावे ताकि राहत का काम पहुंचाया जा सके। गरीबों के घर जो बाढ़ में गिरे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं हैं उनको सहायता दी जाय। पकड़ीदयाल, मधुबन, पताही, ढाका कोई दूसरा जिला नहीं है इसलिए सभापित महोदय, अभी एक अन्तर्राष्ट्रीय कारण होता है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर या डॉ॰ जगन्नाथ मिश्रा जी थे। कर्पूरी ठाकुर इस बेन्च पर बार-बार खड़े होकर भाषण करते थे कि जब तक नेपाल में मल्टी परपस डैम नहीं बनेगा, सब नदियों पर डैम नहीं बनेगा। एक दूसरे से जोड़ने का काम नहीं होगा तब तक उत्तर बिहार बाढ़ से बरबाद होता रहेगा। अभी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, सब लोगों को मिल कर कहना चाहिए कि उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाना है तो नेपाल में तटबंध बनाकर नेपाल में मल्टी मरपस डैम बनाये जिससे पूरे उत्तर बिहार को बचाया जा सके। मैं यही मांग करता हूँ सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री स्वामीनाथ तिवारी : सभापति महोदय, जल ही जीवन है लेकिन जल की अत्यधिक होना जीवन को कष्टकर बना देता है, नदियों का पानी जब समतल जमीन पर आता है।

(व्यवधान)

श्री रामजतन सिन्हा : महोदय, यह सुखाड़ पीड़ित क्षेत्र के हैं। इन्हीं की तरह श्री अवनीश कुमार सिंह हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं, उनको बुलवाया जाय। उनका गांव दह गया है।

सभापति : रामजतन बाबू, कृपया आप सहयोग करें। यह राज्यव्यापी समस्या है।

श्री स्वामीनाथ तिवारी : महोदय, बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है।

साइन्स और टेक्नोलोजी के क्षेत्र में हुई वृद्धि के आधार पर 1954 में राष्ट्रीय स्तर पर तै किया गया कि बाढ़ का निदान निकाला जाय और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने पूरे देश की नदियों को चार हिस्सों में बांटा। ब्रह्मपुत्र रीजन, गंगा रीजन, नार्थ ईस्ट रीजन और दक्कन रीजन, बिहार का हिस्सा गंगा रीजन में आता है। गंगा की लम्बाई देश में 2525 कि.मी. और बिहार में 545 कि.मी. के एरिया में चलती है। जो बाढ़ विभीषिका बनी हुई है इसका मुख्य कारण है बिहार की 7 प्रमुख नदियां जिनका उद्गम स्थान नेपाल है। और नेपाल से चलती है तो इतनी गति में रहती है कि नदी का प्रवाह बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। इस बार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने लिखा है कि– "The river is Glowing more or Less on a ridge and so any breach in the banvis causes great devistation".

इन नदियों में आयी बाढ़ से हुए नुकसान से बिहार हेतु बाढ़ आयोग की बैठक हुई और स्थायी निदान के बारे में लोगों ने कहा कि तटबंध से निदान होगा।

(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार हो रहा है और आप कह रहे हैं कि बाढ़ क्यों आती है।

श्री स्वामीनाथ तिवारी : महोदय, वही कह रहा हूँ। मूल जो स्थिति है वही कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि अभी 2-3 नदियों के प्रभाव से एक दर्जन जिला प्रभवित हैं। गंगा और सोन नदी में बाढ़ आनेवाली है। इसका निदान भी सोचते हैं। नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि यह तटबंध पहली बार टूटा है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि गंडक तटबंध जलहा पट्टी के पास 1975 एवं 78 में टूटा है। दरभंगा में छकौरी मल तटबंध 1975 में टूटा है। महानंदा पर बने बेलगांछी झौका तटबंध 1975 में टूटा है। 1975 में बहरखहल में महानंदा का तटबंध तथा मुर्दानाला में पाबुदी गंडमुग तटबंध टूटा है। 1987 में कोशी तटबंध कई स्थानों पर टूटा। पश्चिमी कोशी तटबंध का क्षतिग्रस्त 1991- जल संसाधन मंत्री का इस्तीफा, विधान सभा समिति की रिपोर्ट। इस बार बागमती नदी पर बने प्राचीन बदला तटबंध में 44-45 कि.मी. में 450 मीटर में तटबंध टूट गया। खगड़िया जिला मुख्यालय एवं प्रखंडों में, इस साल सीतामढ़ी जिला में भी जो

बाढ़ आयी है उसका भी मुख्य कारण बागमती तटबंध है।

(व्यवधान)

तटबंध टूटने के कारण जो यहां बाढ़ आयी है, तटबंध बनाने के कुछ नियम थे। जितने भी तटबंध बनाये गये हैं, बीच-बीच में गैप रखा गया, बक्सर, कोईलवर तटबंध और तीन-चार जगह और।

सभापति : अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री स्वामीनाथ तिवारी : महोदय, क्यों नाराज हो रहे हैं। मैं बहुत अच्छा सुझाव देने जा रहा हूँ। बाढ़ आने के कारण में जायेंगे तभी इसकी रोकथाम सफलतापूर्वक हो सकती है।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मा० सदस्य, तिवारी जी को कहिये कि जो स्थिति पैदा हो गयी है, इस पर सुझाव दें, मुफ्त में उनका समय नुकसान हो रहा है और जय श्रीराम का नाम बार-बार लेते हैं, कोई उपाय नहीं है तो जय श्री राम के नाम से बाढ़ को रुकवा क्यों नहीं रहे हैं?

श्री स्वामीनाथ तिवारी : महोदय, मेरा पहला सुझाव है कि जो तटबंधों के गैप रखे गये हैं उनको तुरंत बंद किया जाय।

सभापति : मा० सदस्य, अपनी बात खत्म करें अब।

श्री स्वामीनाथ तवारी : महोदय, तटबंध पर मरम्मती का जो खर्च है, जो प्रावधान है, वह नियमित रूप से हो। तटबंधों की मरम्मती नहीं होने के कारण यह बार-बार तटबंध टूटते जा रहे हैं। सिंचाई मंत्री बैठे हुए हैं, यह बतावें कि ऐसा है या नहीं?

सभापति : मा० सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री रामाश्रय सिंहजी।

श्री रामाश्रय सिंह : सभापति महोदय, बाढ़ की जो स्थिति हमारे सामने है, इस पर आज जब हम राज्य के अन्दर बाढ़ की विभीषिका पर विचार कर रहे हैं, बाढ़ ने जो स्थिति पैदा की है उस पर जब हम गौर कर रहे हैं तो इस

बात को निर्विवाद रूप में हमें स्वीकार करना चाहिये कि हमारे सामने जो भी मुसीबतें हैं वे केन्द्र की उपेक्षा-नीति के कारण हैं। हम कहना चाहेंगे इस मौके पर महोदय, कि 1954 में बाढ़ पर नीति संबंधी वक्तव्य जारी किया गया। अगर केन्द्र सरकार ने उस पर अमल किया होता और अमली रूप दिया होता तो आज यह भीषण बाढ़ की तस्वीर हमारे सामने नहीं होती। 1957 में एक उच्चस्तरीय कमिटी बनायी गयी, उसने जो अनुशंसाएं दीं, अगर उस पर केन्द्र सरकार ने अमल किया होता तो आज हम बिहारवासियों के सामने यह विभीषिका, मुसीबत उपस्थित नहीं होती।

महोदय, 1964 में केन्द्रीय मंत्री स्तर की समिति बनायी गयी, बाढ़ पर उसने जो अनुशंसा दी, उसपर भी अमल नहीं किया। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया, उसने जो अनुशंसा दी बिहार के संबंध में, उस पर भी अमल नहीं किया गया। आज जब हम बाढ़ पर विचार कर रहे हैं तो इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकते हैं कि फरक्का बराज बनने के बाद बाढ़ की विभीषिका बढ़ी है। हमारे यहां खास कर और उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 70 लाख क्यूसेक पानी के बहाव में रुकावट के कारण कमी आयी है। ज्यादातर उत्तर भारत की नदी गंगा में मिलती है। गंगा पर फरक्का बराज बन जाने और उस से पानी के बहाव में रुकावट आने से बाढ़ की विभीषिका बढ़ी है।

महोदय, 1952 में चम्पारण जिले में एरियल सर्वे कराया गया। एरियल सर्वे अधूरा रह गया, लेकिन उसके पूरा किये बिना गंडक योजना तैयार कर दी गयी और उससे जितना लाभ होना चाहिये था, नहीं हो सका। एरिया सर्वे कराया जाय।

सभापति महोदय, आज जो बांध टूट रहे हैं उसका पानी गांवों में जा रहा है। हमारे यहां बाढ़ लाने वाली जो नदी है वह है सिकरहना नदी जो बाढ़ लाती है। वो नदी चौघरवा से निकलती है। सभापति महोदय, 400 मील लम्बी नदी में खगड़िया से मोतिहारी तक लगभग 375 कि.मी. में बांध बना दिया गया है। 30-40 माइल तक बांध छोड़ दिया गया है उसके चलते वहां के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, 1977 में माननीय कर्पूरी

जी की सरकार बनी थी यह तय किया गया था कि मसान डैम बनाया जायेगा। काम भी शुरू हुआ। 1982 में। 35 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई लेकिन बदकिस्मती है कि जो हमारे माननीय विरोधी दल के नेता भाषण दे रहे थे उन्होंने 1985 में इसे रोकवा दिया। माननीय मंत्री जगदाबाबू ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1985 से अभी तक रुका हुआ है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने जो किया है उसके बारे में बताईए। हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिए पूर्वी चम्पारण के लिए उन्होंने क्या किया? धनवंती निस्सरण की योजना स्वीकृत हुई थी। 14 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ लेकिन अभी आपने उसे बंद कर दिया है।

सभापति : माननीय सदस्य, हमलोग बाढ़ नियंत्रण पर चर्चा कर रहे हैं। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर कम समय दे रहे हैं। जिस दिन बाढ़ नियंत्रण पर चर्चा हो उस दिन यह चर्चा किया जाना चाहिए।

श्री रामाश्रय सिंह : सभापति महोदय, जब तक बाढ़ को जानेंगे नहीं तब तक क्या फायदा होगा। इसलिए आपकी टिप्पणी को हम न्यायसंगत नहीं मानते हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां रक्सौल में, रमगढ़वा ब्लौक में....

श्रीस्वामी नाथ तिवारी : सभापति महोदय, आपने दो-दो बार यह कहा कि बाढ़ नियंत्रण के बारे में डिस्कसन नहीं करें। हम जानना चाहते हैं कि आखिर में यह डिस्कसन कहां होगा?

श्री रामाश्रय सिंह : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपना बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां पूर्वी चम्पारण जिले में रक्सौल, रमगढ़वा, सुगौली, तरकोलिया, आदापुर, घोड़ासहन, ढाका ये सभी इलाके बाढ़ की चपेट में आये हुए हैं।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं, सरकार जो दावा कर रही है कि राहत पहुंचा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं कहीं राहत पहुंचाने का कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अगर राहत कार्य को ठीक ढंग से पहुंचवाना चाहते हैं तो पहले कर्मचारियों की हड़ताल को वे समाप्त करावें।

श्री नवल किशोर शाही : सभापति महोदय, सीतामढ़ी में बाढ़ आयी,

उससे जो तबाही हुई, बाढ़ उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में आयी है, उससे बहुत तबाही हुई है। मधुबनी में, मोतिहारी में और कई जगहों में बाढ़ आयी है और उससे तबाही हुई है। मैं दो-तीन बातें सरकार को कहना चाहूँगा- एक तो यह है कि बाढ़ के बाद किसानों को अधिकतम ऋण, तकावी ऋण या अन्य प्रकार के ऋण मुहैय्या करायी जाय ताकि वे खेती कर सके। दूसरा हमारा सुझाव है कि जिन किसानों का घर दह गया है, समाप्त हो गया है- बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने बाढ़ के समय घोषणा की, कि जिनका घर दह गया है- उनको 10 हजार रुपया प्रति घर मिट्टी घर के लिये और जिनका घर पक्का का है, उनको 25 हजार रुपया देने की बात कही है। यह सरकार भी कम-से कम कुछ गरीब का घर डूब गया है, उसको भी 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपया देने की घोषणा करे, यह हमारो अनुरोध है। तीसरी बात यह है कि जिस घर में खाने के लिये अनाज नहीं है और जहां हेलीकाप्टर से अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, उस घर में चौकीदार के माध्यम से, दफादार के माध्यम से या भी. एल.डब्लू. के माध्यम से अनाज पहुंचाने का काम करे। माननीय सदस्य श्री झा जी ने कहा कि जो सड़कें टूट गई है, उसको जोड़ने का काम होना चाहिये ताकि आवागमन शुरू हो जाय। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बाढ़ से उत्पन्न कठिनाई यह भी है कि जो जानवर और मवेशी मर रहे हैं, उनके इलाज के लिये हेल्थ विभाग के लोग, डॉक्टर लोग अधिक से अधिक भेजें ताकि रोगी को मरने से बचावे। पानी घटने के बाद बीमारी पैदा होगा, इसलिए डॉक्टर की टीम हर प्रखंड में भेजा जाय, वहां कम से कम हर प्रखंड में 10-5 डॉक्टर रहें ताकि बीमार लोग नहीं मर सकें। इतना ही बात हमको कहना था।

श्री युगेश्वर झा : सभापति महोदय, मैं बाढ़ के इलाके से आता हूँ। मधुबनी जिला का बेनीपट्टी, मधवापुर और बासोपट्टी पड़ता है और तीनों प्रखंड अधवारा ग्रुप नदी से प्रभावित होता रहा है। विगत दो वर्षों में बाढ़ नहीं आयी थी, वास्तव में सरकार के तरफ से और लोग अपने भी शिथिल हो गये थे, सुखाड़ की स्थिति से। इस बार जो एकाएक बाढ़ आयी, यह सरकार ढिंढ़ोरा पिटती थी और जगदा बाबू कहा करते थे कि जब तक मैं सिंचाई मंत्री हूँ और लालू जी चीफ मिनिस्टर हैं, बाढ़ नहीं आ सकती हैं। इस बार की जो स्थिति है कि बासोपट्टी, बेनीपट्टी, मधवापुर, बिस्फी भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। इस बार की स्थिति यह है कि जयनगर के दो-तीन प्रखंड भी इससे काफी प्रभावित हुये

हैं। बासोपट्टी प्रखंड का घोटबंकी, कढीय मुसहरी, पंचरतन, चिलमिलिया, हथ्था परसा इलाका बाढ़ से बहुत प्रभावित हुआ है। हमने क्वेश्चन किया था, ध्यानाकर्षण किया था, आपके विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि 12 लाख रुपया आवंटन धौंस नदी से प्रभावित गांव के सुरक्षा के लिये, रानीपुर गांव के लिये दिया था। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 12 लाख रुपया का बन्दरबांट हो गया। मुख्यमंत्री जी बड़े जोर से कहते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है, कोई इन्जीनियर नहीं खाता है। सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बेनीपट्टी के धौंस नदी से रानीपुर गांव को बचाने के लिये 12 लाख रुपये की योजना बनी, उसमें मुश्किल से 2-3 लाख रुपया भी खर्च नहीं हुआ होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्कीम की जांच करायी जाय और दोषी व्यक्ति चाहे ठीकेदार हो, इन्जीनियर हो, उसको दंडित किया जाय।

सभापति महोदय, हमारे यहां बेनीपट्टी में अधवारा ग्रुप नदी के लिये, जब से मैं विधायक बनकर आया हूँ, 1980 से लगातार मांग कर रहा हूँ कि अधवारा ग्रुप नदी से प्रभावति बेनीपट्टी, मधवापुर, बिसथी, हरलाखी आदि इलाकों को बाढ़ से बचाया जाय। डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय फस्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में काम कराना था लेकिन वह काम नहीं हो सका।

श्री रेवाकान्त द्विवेदी : सभापति महोदय, उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित हुआ है। खासकर हमार जिला पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत हमारे विधान सभा क्षेत्र का 6-7 पंचायत बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मेरी समझदारी है कि बाढ़ आयी नहीं है, बाढ़ सिंचाई विभाग के द्वारा लायी गई है।

डॉ॰ शकील अहमद : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ इनफॉरमेशन है। बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में या अन्य राज्यों में बाढ़ से जो लोग मरते हैं, उनको 50 हजार अनुग्रह राशि दी जाती है और बिहार में 1955-56 से ही पांच हजार रुपया ही मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, बंगाल के जैसा ही यहां भी 50 हजार रुपया दें।

श्री रेवाकान्त द्विवेदी : सभापति महोदय, हमारे यहां दामोदरपुर इलाका में जो बाढ़ आयी है वहां के 6-7 पंचायत बैरिया, नौतन आदि पंचायत जो बाढ़

से प्रभावित हुये हैं, हमारी समझदारी है कि बाढ़ आयी नहीं है, बाढ़ सिंचाई विभाग के द्वारा लायी गई है। दामोदरपुर में 1 करोड़ 56 लाख रुपये से कटाव निरोधक कार्य हो रहे हैं, यह कार्य जनवरी, फरवरी में शुरू होना चाहिये था लेकिन यह काम मई महीने में शुरू किया गया। जो रिटायर बांध बन रहा था। वह काम अभी तक आधा भी पूरा नहीं हो सका है, उसी रास्ते से बाढ़ का पानी आया है। इस संबंध में मैंने जगदा बाबू से दो-तीन बार कहा कि वहां की स्थिति काफी गंभीर है, वहां जो गेटवाल बन रहा है, जहां 1360 ईंट देना था, वहां मात्र 600-700 ईंट दिया गया है। ताज्जुब की बात है कि बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री का एजेंसी वहां काम कर रहा है और उनका चिमनी का ईंट लगाया जा रहा है। वहां पर बार-बार जिलाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट की गई, मैं भी माननीय मंत्री से कहा लेकिन उनका दर्शन तक नहीं हो सका। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपने पूरे बिहार का दौरा किया है लेकिन आपके बगल का पश्चिमी चम्पारण और आपके घर के बगल में नौतन विधान सभा क्षेत्र है, आप वहां देखने तक नहीं आये, सिंचाई मंत्री का दर्शन नहीं हो पाया, यह तो स्थिति है। मेरा कहना है कि इसकी जांच सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री अपने स्तर से स्वयं करावें और बाकी जो बांध का काम है, उसको शीघ्र पूरा कराया जाय।

श्री अवनीश कुमार सिंह : सभापति महोदय, सम्पूर्ण उत्तर बिहार भयंकर बाढ़ के चपेट में है। खासकर पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा इन तमाम जिलों के सैकड़ों प्रखंड के हजारों गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। सभापति महोदय, हमारे इलाके में 1990 से ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पहले देवापुर गांव के नजदीक बागमती तटबंध का 610 चैनल बेलवाघाट तक था। 1990 से बेलवाघाट का तटबंध टूटना शुरू हुआ और अब देवापुर तक तटबंध टूटकर पहुंच चुका है। 1990 में मैंने इसके संबंध में विधान-सभा में ध्यानाकर्षण किया था। 1990 का समाचार पत्र का कटिंग मेरे पास है, लेकिन सरकार उदासीन रही है। 1990 से लेकर आज तक उस तटबंध की मरम्मति सरकार नहीं करा पायी। सभापति महोदय, हमारा गांव दह रहा है, पहले हमारे गांव से तीन किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी बह रही थी, आज मात्र 200 मीटर नजदीक पर बह रही है.......

सभापति : आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य श्री राम प्रकाश महतो,

आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री राम प्रकाश महतो : सभापति महोदय, कटिहार जिला में 154 कि. मी. महानन्दा नदी का तटबंध है। पिछले दस दिनों से पूरा कटिहार जिला बाढ़ के खतरे से सशंकित हैं। सभापति महोदय, आज का अखबार हिन्दुस्तान समाचार में आपने देखा होगा कि कटिहार जिला के मनिहारी अमदाबाद प्रखंड के गोविन्दपुर गांव के नजदीक 1000 फीट तटबंध में दरार हो गया है। इसके कारण मनिहारी अमदाबाद और बरारी प्रखंड के लोग बाढ़ के खतरे से सशंकित है। पिछले 26 जुलाई 92 को मुख्यमंत्री जी वहां गये थे। वह इलाका 1987 से लगातार बाढ़ से प्रभावित रहा है। 1987 के बाढ़ से ये लोग ऊबरे भी नहीं थे कि फिर बाढ़ के खतरे से लोग सशंकित हैं। कोचखालीबाड़ी, बहरखाल और कुरसेला के नजदीक तटबंध टूटने से कटिहार तबाह हो जायेगा। अमदाबाद का 5 गाँव, बरारी का 4 गाँव और मनिहारी का 4 गांव बाढ़ से प्रभावित है। अभी अमदाबाद प्रखंड के गोविन्दपुर के नजदीक जहां महानन्दा तटबंध का जो जीरो चेन है, उसमें भयंकर दरार है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसको अविलम्ब दुरुस्त करे। क्योंकि 1987 में जो बाढ़ से क्षति हुई थी, उसकी क्षति पूर्ति भी नहीं हो पायीं है कि फिर बाढ़ आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ...

सभापति : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया, माननीय सदस्य श्री श्याम नारायण प्रसाद आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री श्याम नारायण प्रसाद : सभापति महोदय, मैं धनहा में जो पिपरा पिपरासी तटबंध है उसके संबंध में कुछ सुझाव आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। पिपरा पिपरासी तटबंध में, जब पानी घटता है तो उसमें कटाव शुरू हो जाता है। जब भी बाढ़ आती है और पानी नीचे की तरफ जाता है तो इस तटबंध में कटाव शुरू हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पिपरा पिपरासी तटबंध को पानी घटने पर जो खतरा बना हुआ है, इसके लिये पहले से ही मुस्तैदी किया जाय और वहां बोल्डर शीघ्र पहुंचाया जाय। अभी वहां पर जो बाढ़ का पानी घटेगा उससे लोगों में रोग और व्याधि का संकट उत्पन्न होने वाला है। उसके लिए दवा की व्यवस्था आवश्यक है। साथ ही, मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो चापाकल है उसका

पानी दूषित हो गया है। वह पानी अब लोग पियेंगे तो काफी बीमार हो जायेंगे। इसलिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री लाल बाबू प्रसाद : सभापति महोदय, ढाका, चिरैया, बरगनिया जो नेपाल की सीमा पर अवस्थित थे। बागमती, गंडक, लालवकीया आदि नदियों से सदियों से यह इलाका डूबा रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि बांध टूटा, पानी गांव में घुसा, लोग क्षत-विक्षत हो गये। लोगों की परिस्थिति अत्यंत दयनीय है। लोगों के घर ढह गये, मवेशी मर गए, लोग स्वयं मर गए। इसलिए जो मनुष्य मर गए हैं उसके परिवार को एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाय। जिनका घर दह गया है उनको दस हजार रुपया दीजिए और जिनका मवेशी बह गया है उनको दो हजार रुपया दीजिए। आज वहां लोगों को अन्न-पानी नहीं है इसलिए उनके लिए अन्न-पानी का इन्तजाम कीएि। पकड़ीदयाल, मधुबन, चिरैया, घोड़ासाहन, बैरगनिया, ढाका इलाके की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

श्री शाहीद अली खान : महोदय, सीतामढ़ी जिला में खासकर बैरगनिया, शिवहर, ढेंग तथा मेजरगंज में बाढ़ का ज्यादा असर हुआ है। सभापति महोदय, इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले तीन वर्षों में बांध का मरम्मत नहीं हुआ जिससे बांध का जो हाइट होना चाहिए, टेक्निकल दृष्टिकोण से हाइट होना चाहिए, वह घट गया और हाइट घट जाने की वजह से सीतामढ़ी शहर में लखनदेई नदी ओभर-फ्लो करके टाऊन में उसका पानी प्रवेश कर गया। लखनदेई नदी में कई जगह सीपेज हो जाने के कारण सीतामढ़ी टाऊन में पानी आया और डुमरा प्रखंड के लगभग 10 पंचायतों में स्थिति भयानक है। वहां के लोगों का आवागमन एक गांव से दूसरे गांव में नहीं है। वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि गांव टापू सा लग रहा है। टोले में चारों ओर 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट पानी का जमाव हो गया है। इसके कारण सीतामढ़ी के गांव के लोगों की स्थिति बहुत खराब है। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहत के लिए सबसे आवश्यक है सड़कों का ठीक होना।

श्री रामजीवन प्रसाद : सभापति महोदय, एक सप्ताह पहले सीतामढ़ी में, चम्पारण एवं मधुबनी के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप हुआ। सीतामढ़ी जिला

बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाह हुआ। हजारों जानवर दह गये। सीतामढ़ी जिला का सभी प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है इसमें सोनवर्षा और परिहार भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा बैरगनिया प्रखंड प्रभावित है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार को तत्काल वहां किसानों के लिए बड़े पैमाने पर सहकारिता ऋण और तकावी ऋण मुहैया करवाना चाहिए। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी कम से कम लोगों को तुरंत दिया जाय ताकि वहां के गरीब लोगों की जान कुछ हद तक बच सके।

श्री रामपरीक्षण साहु : सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला में जो बाढ़ का पानी घटना शुरू हुआ, वह नेपाल की तरफ नहीं भागा है। वह पानी मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा और मीनापुर प्रखंड के अन्दर बहता हुआ चला गया। मीनापुर प्रखंड में कई लोग मर गए हैं। वहां स्थिति बहुत ही खराब है। आप अखबार में देखे होंगे कि मीनापुर के विधायक अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं मूल बात कहना चाहता हूँ, यह प्राकृतिक आपदा है। डॉक्टर साहब आज बोल रहे थे। डॉक्टर साहब को शर्म आनी चाहिए। पहले-पहले इन्होंने सिंचाई मंत्री से स्टार्ट किया और जब तक ये मुख्यमंत्री रहे तब-तब सिंचाई विभाग अपने पास रखे रहे। आज यह दुर्दिन देखने को नहीं मिलता यदि ये इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई किये रहते। योजना कोई एक दिन की नहीं बनती है, योजना लम्बे दिनों के लिए बनती है। एक दिन की योजना से, दो दिन की योजना से समस्या का निदान नहीं होता है, निदान होता है स्थायी योजना से। यदि ये स्थायी योजना बनाये होते तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। सभापति महोदय, मैं वर्तमान सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये भविष्य की योजना बनावें और योजना बने तथा उसके कैसे कंट्रोल किया जाय। इस पर विचार करें।

श्री लाल बिहारी यादव : सभापति माहोदय, हमारे यहां भूतही बलान में बराबर बाढ़ आती है। 1.5 किलोमीटर में बांध नहीं रहने के कारण पचासों गांव प्रभावित हुए हैं। माननीय सिंचाई मंत्री से मैं और फुलपरास के एम.एल.ए., श्री राम कुमार यादव बराबर आग्रह करते रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर बांध बनवा दीजिए। इसके बन जाने से यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन वह आज तक नहीं बन सका।

श्री राम कुमार यादव : सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र फुलपरास में एक

भुतही बलान नदी है। मैंने माननीय मंत्री से मिलकर कहा था कि 1.5 किलोमीटर जो पूर्वी तटबंध का बनना अधूरा रह गया है जिसके चलते प्रत्येक वर्ष बाढ़ से चालीसों गांव प्रभावित होते हैं, इसको बनवा दिया जाय। यह बहुत बाड़ा काम नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से 1993 के नवम्बर तक इसका निर्माण करवा दिया जाय। नहीं तो भूतही बलान नदी को काटकर नीचे कोसी की तरफ बहा देंगे। डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र अभी झंझारपुर क्षेत्र की चर्चा करने का काम किये हैं। मुख्यमंत्री जी और जगदा बाबू हेलिकोप्टर से झंझारपुर का सर्वेक्षण किये थे। मैं कहना चाहता हूँ कि बरसात में जाने से पता नहीं चलेगा। बरसात के बाद डॉक्टर साबह को साथ लेकर जाइये। डॉक्टर साहब के समय में झंझारपुर के इई-गिर्द इंजीनियर लोगों ने जो गैप छोड़ा था उसी की वजह से बराबर बांध टूटता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वर्ष 1993 के अन्त तक भूतही बलान के अधूरे पूर्वी तटबन्ध का निर्माण कार्य पूरा किया जाय और भूतही बलान नदी एवं कमला बलान नदी के बाढ़ से पीड़ित लोगों के बीच युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाया जाय।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ आई है इसको हम नकारते नहीं हैं। तत्क्षण उस दिन हमलोग गए और बचाव का, राहत का और सर्वेक्षण कार्य करके हमलोग आये। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं, पूरी तरह से सरकार सचेष्ट है उस इलाके के लिए। महोदय, लगातार भारत सरकार के एन. डी. सी. की मिटींग में हम इस सवाल को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। उत्तर बिहार की जनसंख्या ज्यादा है। वहां आबादी का घनत्व ज्यादा है और जो हमारा वेस्ट फर्टाइल लैण्ड है उत्तर बिहार, इर साल अन्तर्राष्ट्रीय नदी के पानी से हम तबाही में हैं और तमाचा खाते रहे हैं, थपेड़ा खाते रहे हैं। महोदय, इस स्थिति से स्थायी निदान के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय नदियों की वजह से, नेपाल से जो नदियां निकलती हैं, वह उत्तर बिहार के विभिन्न रूटों से होकर, पेट को चीरकर निकल जाती हैं तबाही मचाते हुए निकल जाती है। एक तो नदी का बेड भर रहा है और हर साल नदी के बहाव से इरोजन हो रहा है। इससे लाखों परिवार प्रभावित होते रहे हैं। इस तरह जहां हमारी आमदनी है, छोटानागपुर के इलाके से, वह हमलोगों को मिलता नहीं है। आमदनी का रॉयल्टी हमलोगों को बहुत कम मिलता है और हमारे राज्य की यह विडम्बना है कि हर साल बांध के टूटने और बाढ़ से हम

पीड़ित रहते हैं। माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा कि तटबंधों को ठीक रहना चाहिए। नेता, विरोधी दल ने भी कहा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय नदी के पानी का बहाव है उससे हमसे ज्यादा नुकसान नेपाल को है। इस संबंध में एक पत्र है, जो मैं पढ़ देता हूँ, वह इस प्रकार है– LAST THREE DAYS THERE HAS BEEN EXCESSIVE RAIN IN THE CATCHMENT AREAS OF SEVERAL RIVERS IN THE EASTERN SECTOR OF NEPAL. BECAUSE OF FLOODING AND LAND SLIDES, EIGHT BRIDGES HAVE COLLIAPSED INCLUDING THE BHAINSE BRIDGE ON TRIBHUVAN RAJPATH (BUILT BY INDIA) AND MALEKHU BRIDGE ON PRITHVI RAJPATH. THE DAMAGE TO THESE TWO BRIDGES HAS CUT OFF THE KATHMANDU VALLEY FROM THE TERAL. OFFICIAL ESTIMATES ON DEATH IS 50 AND MORE INFORMATION ON LOSS OF LIVS AND RPOPERTY ISCOMING IN (.)

2. THE DEPTT. OF HYDROLOGY HAVE CONVEYED TO US THAT THE TWO RIVERS WHICH ARE FLOWING AT 8 TO 10 METRES ABOVE THE NORMAL LEVELS ARE TRISHULI AND BAGMATI. THE DAMAGE IS CONCENRTRATED IN THE AREA BETWEEN MID SECTION OF TRISHULI BASIN TO EASTERN END OF BAGMATI. SOME BORDER TOWNS AND VILLIAGES TO THE SOUTH OF EAST WEST HIGHWAY LIKE GAUR ETC. ARE SUBMERGED IN 5 TO 6 FEET OF WATER THIS MORNING. A GUAGE STATION AND CABLE WAY AT PANDHRE ON BAGMATI RIVER CONSTRUCTED WITH INDIAN ASSISTANCE HAS NOT WASHED AWAY. PENSTOCK PIPES AND SOME HEAVY EQUIPMENT AT THE KULEKHANI POWER HOUSE HAVE ALSO BEEN SWEPT AWAY. IMPOSING ADDITIONAL LOAD SHEDDING.

AS PER INFORMATION AVAILAVLE&k THE TRIBUTA RIES OF KHSHI VIZ ARUN, TAMU AND SUNKOSHI, AND THE WSTERN RIVERS MAHAKALI AND KARNALI ARE CAÙKYING THE NORMAL FLOOD WATERS INCREASING BUT ARE NOT EXPECTED TO RISE TO DANGEROUS LEVELS. WEATHER EXPERTS ARE EXPECTING MORE RAINS IN THENEXT FORTY EIGHT HOURS AND IT IS ENVISAGED THAT THERE WOULD BE MORE DAMAGE (.) THELEVEL OF NEPALESE RIVERS FLOWING INTO INDIA MAY FURTHER RISE IN THE EASTERN SECTOR IN THENEXT FEW DAYS (.)"

(A.R. GHANSHAYAM)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

इसलिए, यह जो स्थिति है, इससे निपटने के लिए......

श्री रामजतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी प्रोसेडिंग का पार्ट नहीं बन सकता है।

श्री लालू प्रसाद : ये अनुवाद कर ले सकते हैं, ये बड़े काबिल लोग हैं।

अध्यक्ष : प्रोसेडिंग का अंग चाईनीज, जापानीज भी बन सकता है। कृपया बैठिए।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सीतामढ़ी, चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा के कुछ इलाकों और कटिहार में महानंदा के क्षेत्र में है और रूट में खगड़िया है। इन जगहों पर बड़े पैमाने पर क्षति हुई और यहां जिन गरीबों को नसीब नहीं है, पक्का के मकान के नीचे रहने का, उनकी क्षति हुई है। ये अधिकांश गरीब लोग हरिजन, दलित लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे रहले वाले लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। इन्हें हमलोगों ने देखा है और हमारे नेता, विरोधी दल ने भी देखा है और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया है कि जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ़ा जाएगा, यह समस्या बनी रहेगी। बिहार को आशा बंधी थी कि भारत के प्रधाननमंत्री जी जब यहां आये थे तो हमसे भी उनकी बातें हुई थी और बिहार और नेपाल के साथ हम सीधे निगोशिएसन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री जी ने, नेपाल के प्रधान मंत्री जी से, हमलोगों ने भारत सरकार के माध्यम से सुझाव दिया था कि इस बिन्दु पर गंभीरता से कार्य किये जायं। जिस तरह से हमारे यहां पहले नेपाल से संबंध खराब चल रहा था, नेपाल में जब स्थिति में परिवर्तन आया तो एक आशा की किरण उत्तरी बिहार के, बिहार के लोगों के मन में हुई कि अब हाई-डैम बनेगा और इससे रेगुलेट हो कर नदी के जल से हाईड्ल बिजली पैदा होगी जिसको भारत सरकार पूरा खरीदेगी। इस बिन्दु पर सरकार को वार्ता करनी चाहिए थी। नेपाल के कुछ अन्दरूनी मामले भी हैं, राजनैतिक समस्याएं हैं। यह दूसरे देश से संबंधित सवाल है। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया था कि बिजली हम उनसे लेंगे और इससे नदियां ठीक ढंग से रेगुलेट कर सकेंगी और हम इन समस्याओं से ठीक से निपट सकेंगे। जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया जाएगा, हर साल लाखों-लाख लोग, गरीब लोग प्रभावित होते रहेंगे। ये गरीब लोग अपने मकान का नींव तक नहीं बना पा रहे हैं, ये झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उस इलाके में सभी जाति के लोग गरीब तबके के हैं। चंद लोग ही संपन्न होंगे। लेकिन अधिकांश लोग सभी जाति के लोग गरीब तबके के हैं। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा में और अन्य प्रभवित जिलों में भी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने देखा है समस्या को। यह ठीक है कि हमारे जो तटबंध हैं,

वे टूटे हैं। हमारी मान्यता थी कि सिंचाई विभाग का जो पैसा हमारे पास है उसको हम बिना वजह खर्च नहीं करेंगे। जब पानी आयेगा, इरोजन शुरू होगा, पहले इसमें काफी लूट हो चुकी है और सुनते थे कि पानी में इतना बोल्डर डाला गया। इसलिए जो वीक-प्वाइंट है, जो डेंजर प्वाइंट है, उसमें सूखे के समय में, हमारी मान्यता यही थी, काम करेंगे। नेता, विरोधी दल का भी ठीक ही सुझाव है। वहाँ सिविल पेट्रोलिंग होनी चाहिए कि कोई कंट्रैक्टर, ठीकेदार या अभियंता फिर काट नहीं दे। लेकिन यह जो हमारे तटबंध हैं, ठीक है कि वहां काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो तटबंध टूटा, वह सामान्य ढंग से, जहां इरोजन हुआ, हमलोगों ने इसको देखा है कि जहां पर प्रेशर था, वहां टूटा है। अगर तटबंध की बात को छोड़ दें तो बैरगनिया में जो रेलवे लाइन है और यह हमारा काम नहीं था....

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। अभी बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है, सरकार द्वारा ....

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी को हर चीज में बोलने की आदत सी हो गयी है। इनको तो इन सब चीजों से मतलब नहीं है।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, स्थिति की गंभीरता को ये हल्के ढंग से ले रहे हैं, इसलिए .....

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठने के लिए कहा जाए। मैं कह रहा था कि यही स्थिति है। चाहे जितना ऊंचा कर लें, उतना ही नदी का बेड भरता जा रहा है और जितना ही ऊंचा बांध बनेगा उतना ही बड़े पैमाने पर लोग डूबेंगे। यह तो बहस की चीज है कि जो तटबंध बने....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सभी माननीय सदस्यों के समक्ष स्थिति को रखा है। यह निर्विवाद सत्य है कि हर साल नदियों में बाढ़ का पानी आता रहेगा और हम उससे पीड़ित होते रहेंगे। गंगा, जो राष्ट्रीय नदी है, इसके लिए हमारी मांग है कि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई भारत सरकार

वहन करे। आप बता दें कि हमारे पास कितने संसाधन हैं? यह तो हमारे लिए विडंबना है, लाईबलिटी है। यह भार है इस गरीब राज्य के ऊपर, आपके ऊपर। इसलिए यह सुझाव कि हरेक प्रखण्ड, जिलों में राशन गया कि नहीं, इस संबंध में सूची है हर जगह कितना मिट्रीक टन राशन गया और कितना उठाया गया। मैं माननीय सदस्यों को जिलावार स्थिति बता देता हूँ।

पश्चिम चम्पारण में 577 मिट्रीक टन, मुजफ्फरपुर में 482 मे.ट., सितामढ़ी में 309 मे.ट., मधुबनी में 289 मे.ट., दरभंगा में 186 मे.ट., सुपौल में 310 मे.ट., और कटिहार में 304 मे.ट. अनाज भेजा गया है। मैंने कहा महोदय, पैसे पूरे उठाये जा रहे हैं। मैंने उसी दिन घोषणा किया था और इस संबंध में वायरलेस मैसेज भी सम्बन्धित डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा था। 50-50 लाख रुपया भी दिया है। इसके अलावा चूड़ा, सत्तू हमने भेजवाया है इसकी अलग सूची है। हेलीकोप्टर से हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेना के हेलीकोप्टर जाने का मतलब है कि हमलोग उसको देखें और लोगों का सरकार पर जो ध्यान है वह पूरा हो। सरकार का ध्यान इस तरफ है। इससे उनकी उम्मीद बनती है। जो ग्रामीण पथ हैं, जो कट चुका है इसलिए महोदय, सहाय्य पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है उसको हमलोगों ने भेजवाया है। किरासन तेल भी भेजवाया है। सड़कों के डिस-कनेक्शन होने की वजह से हमने यह फैसला लिया है कि फुड फौर वर्क में वहीं के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया जाय और जो राहत की सामग्री है उसको आसानी से ले जाया जाय। हम घोषणा करना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं उनसे त्तकाल वसूली को हम बंद कर देते हैं और सर्वदलीय राहत समिति डिस्ट्रीक्ट वाइज वहां जायं और आपलोग निकलिए हाउस से और चलिए वहां। सारा सामान कपड़ा और दवा सरकार मुहैय्या करावेगी। राशन भी सरकार मुहैय्या करायेगी। आपकी जिम्मेवारी है। अब चलिए सभी दल के लोग। हम कोई अपना दल या सरकारी स्तर पर इसको रखना नहीं चाहते हैं। आप हिस्सा लीजिए और उस इलाके में जाकर सर्वे कीजिए और हमने 50-50 लाख हर सम्बन्धित जिला को दिए हैं। हम सरकारी घोषणा करते हैं और कोई गलत बात नहीं बोलते हैं। वायरलेस की कापी महोदय, हम आपको दे देते हैं ओर कापी कराकर इनको यहां भेज दीजिए।

महोदय, हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसलिए कि आपलोग प्रचार करते हैं

कि लालू प्रसाद को अंग्रेजी ही नहीं आता है इसलिए महोदय, यह सर्वदलीय राहत समिति जरूर-चले। फुड फौर वर्क से हम पथों का निर्माण करायेंगे और सभी से अपील करता हूँ कि........

श्री बच्चा चौबे : अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला अन्तर्गत मनाट प्रखण्ड की एक पंचायत के मुखिया अब्दुल हसनात और उनके चौबीस वर्षीय पुत्र अफजल हासमी की निर्मम हत्या करके लाशों को कुँए में डाल दिया गया। उनकी सारी सम्पत्ति लूट ली गयी और आज उनके आश्रित हत्यारों के भय से घर छोड़ कर डालटेनगंज में पनाह लिये हुए हैं। किसी भी समय उनकी भी हत्या हो सकती है। लाख घोषणाओं के बावजूद आज तक मरहूम हसनात के आश्रितों को न तो नौकरी दी गयी और नहीं तो किसी तरह का मुआवजा और कोई सुरक्षा व्यवस्था। उनके अभागे आश्रित भय और आतंक की साया में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि मरहूम हसनात के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा दिया जाय तथा उनकी सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था करायी जाय।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सभी कलक्टरों के यहां होम सेक्रेटरी के यहां से, ऐसे मामले जो होंगे, ऐसे मामलों में निश्चित रूप से मुआवजा देंगे। उनको एक लाख रुपया देंगे और जो मुखिया जी के परिवार के सुरक्षा के संबंध में कहा गया उसका हम इंतजाम करते हैं।

श्री सत्यनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अन्तर्गत बागमती नदी से हो रहे भीषण कटाव से लालपुर गांव के पास बदला नगरपारा तटबंध पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तटबंध के 8वें कि.मी. में लगभग एक कि.मी. में कटाव जारी है। एक जगह पर बांध का "टो" भी कट चुका है। बांध से सटे गांव की पच्चीस हजार की घनी आबादी रहने के कारण रिंग बांध भी नहीं बनाया जा सकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्ब कटाव-बचाव कार्य प्रारंभ करने हेतु आकृष्ट करता हूँ।

प्रधानमंत्री का आज ही आया है उनके सेक्रेटरियट से हमने प्रोग्राम बनाकर रख दिया है, दरभंगा चलिए, सीतामढ़ी चलिए और कटिहार में हम

चलेंगे।

महोदय, माननीय सदस्य श्री युगेश्वर झा जी ने एक बात के लिए कहा है कि पैसा लगा है घौस नदी पर बेनीपट्टी प्रखंड में मात्र 5 लाख रुपया और वह रुपया लोग खा गये हैं। इस सबंध में कहना है कि कटाव निरोधक स्वीकृत हुआ। अगर 5 लाख रुपया में से कोई बेईमानी किया होगा तो हम यह सूचना ग्रहण करते हैं, इसमें निश्चित रूप से जो लोग होंगे उनको सजा मिलेगी।

महोदय, हमने चूड़ा 21 क्विंटल भेजवाया है, सतुआ 36 क्विंटल, गुड़ 50 क्विंटल, नमक़ 1400 क्विंटल तथ किरासन तेल 12 हजार लीटर लेकिन इससे क्या होगा ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन हुआ। प्रधानमंत्री के सामने आपलोग भी चलें और सबलोग इस पक्ष को रखिये और 600 करोड़ मिल ज़ाता है तो निश्चित रूप से हम बिहार की सड़कें को हौट मिक्स प्लांट /. मशीन से बनवा देंगे ताकि पानी आवे तो छहल जाय। इस काम में हमलोग लगे हुए हैं, पूरे इलाके में हमलोग सचेष्ट हैं। ये सारे कागजात प्रोसिडिंग में रख लिया जाय और प्रोसिडिंग का अंग बना लिया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है। इसे प्रोसिडिंग का अंग बनाया जाय।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, उत्तरी बिहार की नदियों के जलग्राह्य क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के फलस्वरूप उत्तरी बिहार के प्रायः सभी नदियों में अचानक जलस्तर में वृद्धि हुई। विशेष रूप से बागमती एवं कमलाबलान के बहाव क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति काफी गम्भीर हो गई। नदियों में अप्रत्याशित उफान के फलस्वरूप सीतामढ़ी जिला का अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गया। अब तक प्राप्त सूचनानुसार राज्य के सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फपुर एवं कटिहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

जिलों में हुई क्षति एवं चलाये जा रहे सहाय्य कार्य निम्न प्रकार है :–

1. सीतामढ़ी :– इस जिला के मेजरगंज, पिपराही, शिवहर, बैरगनियां, रीगा, डुमरा, रुन्नीसैदपुर, तरियानी, परिहार एवं बेलसंड के लगभग 175 पंचायतों के 650 गांवों की 15 लाख की आबादी भयानक रूप से प्रभावित हो चुकी है। पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कुल 350 कि.मी. सड़कों में 150 कि.मी., तथा

ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के अधीन कुल 300 कि.मी. सड़कों में से 200 कि. मी. बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं। 50 छोटी पुलिया एवं कलभर्ट्स जिनकी कीमत 2. 50 करोड़ रुपये आंकी गई है, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिससे आवागमन अवरूद्ध हो गया। आवागमन सुनिश्चित करने के लिए त्तकाल 5 लाख रुपये की मांग की गई है। पथ निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन की सड़कें, जल संसाधन विभाग के बांध, लघु सिंचाई विभाग की संरचनाओं की क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है। 1000 हेक्टर में लगे धान के बिचड़े एवं 24000 हेक्टर में लगी खड़ी फसलें, 1000 हेक्टर में मकई, 2000 हेक्टर में सब्जियां एवं 1000 हेक्टर मैं मडुआ को भारी क्षति पहुंची है। बाढ़ का पानी घटने के बाद धान के बिचड़ों की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। वन विभाग के अन्तर्गत 20 लाख वृक्षारोपण हेतु गाछी तथा विभिन्न क्षेत्रों में 6.50 लाख लगे पौधे बाढ़ से नष्ट हो गये। मत्स्य विभाग अन्तर्गत तालाबों में मछलियों एवं जीरो को काफी नुकसान हुआ है। 829.24 लाख रुपये मूल्य की सार्वजनिक सम्पत्तियों की क्षति की सूचना है। विभिन्न भंडारों में संचित 3000 मे.ट. उर्वरक बाढ़ के कारण बर्बाद हो गये।

सीतामढ़ी जिला में प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाये जा रहे हैं। जिला में उपलब्ध नावों के अतिरिक्त अन्य जिलों से प्राप्त 33 देशी नावें, 30 सेना के नावें तथा 8 सेना की मोटर लांच के अतिरिक्त वायु सेना के 2 हैलिकाप्टर तथा 100 सैनिनक जवान राहत एवं बचाव कार्य में लगाये गये।।

अब तक बाढ़ प्रभावितों के बीच वितरित किये गये खाद्यान्न एवं तैयार भोजन की मात्रा निम्न प्रकार है :–

1. चूड़ा............................621 क्वीं॰
2. चना............................220 क्वीं॰
3. सत्तू............................36 बोरा
4. गुड़............................300 क्वीं॰
5. नमक............................1400 क्वीं॰
6. दियासलाई......................4000 अदद
7. किरासन तेल..................12,000 लीटर– 30,000 लीटर किरासन तेल स्टॉक में उपलब्ध है।

बिहार राज्य असैनिक खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा 1435 गेहूँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत निम्नलिखित प्रखंडों को उनके नाम के सामने अंकित गेहूँ की मात्रा आवंटित करने का आदेश दिया गया है।

	प्रखंड का नाम	मात्रा (क्विंटल)
1.	डुमरा	750
2.	रून्नीसैदपुर	900
3.	रीगा	560
4.	मेजरगंज	510
5.	बैरगनिया	220
6.	शिवहर	500
7.	पिपराही	520
8.	तरियानी	140
9.	बथनाहा	300
		4889 क्वीं॰

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 35 पशु चिकित्सा सहाय्य केन्द्र खोले गये हैं जिनके द्वारा 44,000 टीकाकरण यिा गया है और 75,000 टीकों की और आवश्यकता है। आपदा सहाय्य कोष की। लाख रुपये की राशि पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के चारे हेतु उपलब्ध करा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 15,000/- रु. आकस्मिक व्यय के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं।

वितरित किये गये सहाय्य सामग्रियों के अतिरिक्त बिहार राज्य खाद्य आपूर्त्ति निगम के सीतामढ़ी गोदाम में 6000 क्वीं. गेहूँ किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं।

2. पूर्वी चम्पारण :- जिले के छः प्रखंडों यथा- पताही, रक्सौल, ढाका, मधुबन, पकड़ी दयाल तथा रामगढ़वा के 50 पंचायत अन्तर्गत 200 गांव के 2.50 लाख की आबादी प्रभावित हुई। बाढ़ से 50 हजार हेक्टर में लगी फसलों की बर्बादी हुई। प्रभावित क्षेत्रों में 25 नावें चलाई जा रही है। प्रभावित लोगों के बीच 134 तैयार भोजन एवं 260 क्विंटल मुफ्त खाद्यान्न वितरित किये

गये। इसके अलावे 2000 अदद सलाई, 5000 अदद मोमबत्ती, 250 कि.ग्रा. नमक एवं 1,000 मीटर पोलिथीन शीट्स वितरित किये गये।

प्रभावित प्रखंडों के रक्सौल एवं पताही जिला प्रखंडों से बाढ़ का पानी निकलने के कारण स्थिति सामान्य हो गई है।

3. पश्चिमी चम्पारण :– इस जिला के पांच प्रखंड यथा– नौतन, बैरिया, ठकराहां, सिकटा एवं मधुबनी प्रखंडों के 20 पंचायतों के 75 हजार की आबादी तथा 4000 हेक्टर में लगी फसल की बर्बादी हुई है। इसके अतिरिक्त 20 कि.मी. सड़कें, 7 पुल तथा 8 कल्भर्ट, सरकारी भवन 3 एवं आवासीय भवन 2000 क्षतिग्रस्त हुए हैं। 20 बिजली के खम्भों के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। 5 विद्यालय भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 32000 फीट रिंग बांध एवं 100 फीट रिटायर्ड बांध को भी क्षति पहुंची है।

प्रभावित क्षेत्रों में 20 नावें चलाई जा रही हैं तथा 650 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में 400 क्विंटल गेहूँ मुफ्त सहाय्य के रूप में बांटे गये हैं। इसके अतिरिक्त तैयार भोजन के रूप में 200 क्विंटल, 30,000 लीटर किरासन तेल, 1000 सलाई, 2000 मीटर पोलिथीन शीट्स भी वितरित किये गये हैं।

4. दरभंगा :– दरभंगा जिले के कुल 4 प्रखंड यथा मनीगाछी, घनश्यामपुर, बेनीपुर तथा अलीनगर की 30 पंचायतों के 66 गांवों में 1-50 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ के कारण इस जिले के करीब 13 हजार पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिले के कुल 55 हजार हेक्टर में लगी फसलों की बाढ़ से बर्बादी हुई है। बाढ़ के कारण हुई फसलों की क्षति का अनुमानित मूल्य 220 लाख रुपये है। प्रभावित क्षेत्रों में 108 नावें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में मकानों को काफी क्षति पहुंची है जिसका अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपये होगा। साथ ही 67 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य की सार्वजनिक सम्पत्ति की भी क्षति हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में 14 सहाय्य केन्द्र संचालित किये गये हैं जिनके माध्यम से 333 क्वींटल तैयार भोजन तथा 1670 तैयार भेजन के पैकेट, 720 दियासलाई, 6000 मोमबत्तियाँ, 600 मीटर पोलिथीन शीट्स आज तक वितरित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ से

घिरे क्षेत्रों में वायु सेना के 3 हेलिकोप्टरों द्वारा पटना से तैयार भोजन के पैकेट्स दिनांक 26.7.93 से गिराये जा रहे हैं। झांसी सेना के 30 रबर बोट एवं 100 जवान आज सुबह तक पहुँच गये हैं जिन्हें राहत कार्य में लगाया जा रहा है।

5. मधुबनी :– मधुबनी जिले के 9 प्रखंडों यथा राजनगर, झंझारपुर, खजौली, बाबु बरही, बेनीपट्टी, लखनौर, अन्धराठाढ़ी, बासोपट्टी तथा हरलाखी के कुल 48 पंचायतों के 78 गांव बाढ़ से प्रभावित हुई है। प्रभावित जनसंख्या 1,67,000 है। 500 हेक्टर फसल क्षेत्र में बाढ़ से बर्बादी हुई है। करीब 600 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 67 लाख रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति हुई है। इस जिले में कुल 70 नाव राहत कार्य के लिए चलाई जा रही है। कुल 31 स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5 पशु सहाय्य केन्द्र संचालित किये गये हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कुल 2675 क्विंटल खाद्यान्न सहाय्य के रूप में वितरित किया जा चुका है।

6. सुपौल : सुपौल जिले के 2 प्रखण्डों यथा किशनपुर और मरौना की कुल 30 पंचायतों में 131 ग्रामों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा है जिससे कुल 48 हजार की जनसंख्या प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य किया जा रहा है।

7. मुजफ्फरपुर :– मुजफ्फरपुर जिला के 3 प्रखण्डों यथा मीनापुर, ओराई तथा कटरा की कुल 20 पंचायतों के 100 गांव बाढ़ से प्रभावित हुई हैं जिनमें 30 हजार की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस जिले में प्रभावित क्षेत्रों में 100 नाव राहत कार्य में चलाई जा रही है तथा जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

8. कटिहार :– कटिहार जिला के 4 प्रखंड यथा बरारी, कदवा, अमदाबाद तथा मनीहारी की कुल 15 पंचायतों के 15 गांवों में बाढ़ का प्रभाव हुआ है। इससे कुल 40 हजार की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। कुल 465 मकानों को क्षति पहुंची है जिसका अनुमानित मूल्य 7 लाख रुपये होगा। इसके अलावे 172 लाख रुपये के मूल्य की सार्वजनिक सम्पत्ति को भी क्षति पहुंची है। प्रभावित क्षेत्रों में 86 नावें चलायी जा रही हैं तथा जिला प्रशासन के द्वारा अन्य राहत कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

पटना जिला प्रशासन को सरकार द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है कि वे वर्तमान बाढ़ से प्रभावित जिलों में, अपने स्तर से राहत सामग्रियां आपूर्ति करेंगे। तद्नुसार वे हेलिकॉप्टर अथवा अन्य श्रोतों के माध्यम से आवश्यक राहत

सामग्रियां बाढ़ प्रभावित जिलों को भेज रहे हैं। इस कार्य में चुस्ती लाने हेतु पटना हवाई अड्डे के निकट पटना जिला प्रशासन द्वारा एक शिविर खोला गया है जिसका प्रभार अपर समाहर्त्ता, सहाय्य पटना को बनाया गया है एवं उनके अधीन दो दण्डाधिकारी एवं कर्मचारी रखे गये हैं।

बाढ़ से प्रभावित सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण को पचास लाख रुपये की दर से कुल तीन करोड़ रुपये बाढ़ राहत एवं सहाय्य हेतु आवंटित किये जा चुके हैं।

सर्वदलीय राहत समिति का गठन किया जायेगा। तटबंधों की मरम्मत युद्ध-स्तर पर कराई जायेगी। राहत का कार्य सुचारु रूप से चलेगा। किसी प्रकार की ऋण की वसूली बन्द रहेगी। फ्लूड एवं वार रोड मरम्मति का कार्य किया जायेगा। एक सप्ताह का मुफ्त राशन दिया जायेगा। जिन लोगों का मकान ध्वस्त हो गया है जांचोपरान्त सरकारी राशि प्रदान की जायेगी।

बाढ़ के दौरान मृत लोगों की जांचोपरान्त उनके आश्रितों को पचास हजार रुपया का मुआवजा दिया जायेगा। गाय, भैंस, बैल जो बाढ़ के दौरान मर गये हैं उन्हें जांचोपरान्त पांच हजार रुपया, सुअर, बकरी आदि के लिए पांच सौ रुपये का मुआवजा सरकार देगी।

दिनांक 20 जुलाई, 93 की मध्य रात्रि में मेजरगंज अंचल के डुमरा हरपुर एवं बैरगनिया अंचल के मुसाचक आदम बांध में कई स्थानों पर दरार पड़ने एवं टूटने के फलस्वरूप संपूर्ण बैरगनियां, मेजरगंज, बथनाहा, रीगा, शिवहर, पिपराही, तरियानी, बेलसंड एवं रुन्नी सैदपुर अंचलों में बाढ़ का पानी बड़े पैमाने पर फैल गया। साथ ही दिनांक- 21 जुलाई, 93 के शाम तक उक्त अंचलों के सभी व्यक्ति बाढ़ की विभीषिका से भयंकर रूप से पीड़ित हो गये। तटबंध के टूटने के कारण पानी की गति काफी तेज थी, फलस्वरूप कोई बचाव कार्य संभव नहीं हो सका। साथ ही अधवारा समूह की नदियों में बाढ़ आ जाने से सोनबरसा, परिहार एवं सुरसंड अचंलों में भी बाढ़ का पानी फैल गया। बाद में नानपुर अंचल के भी करीब-करीब सभी ग्रामों में बागमती नदी का पानी फैल गया। फलस्वरूप करीब दस लाख की आबादी वाले 497 ग्रामी के लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए। 1,54,000 हेक्टर क्षेत्र में भयंकर रूप से पानी फैल गया।

2/ बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के लिये राज्य स्तर से संपर्क किया गया। वायु सेना तथा थल सेना की सहायता के लिये आग्रह किया गया। फलस्वरूप वायु सेना के दो हेलिकॉप्टर तथ थल सेना के 30 पैररल वोट एवं 8 वोयम की मदद से राहत कार्य युद्ध-स्तर पर चलाया गया। इसके अतिरिक्त वैशाली जिला से 28 लकड़ी की नावें मंगाई गयीं, इसे भी राहत कार्य में लगाया गया। जिला प्रशासन एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों की सेवायें व्यवहार में लायी गयीं एवं बाढ़ की विभीषिका से जानमाल की रक्षा की गयी।

3/ दिनांक 21 जुलाई, 93 से 23 जुलाई, 93 तक बाढ़ की विकराल स्थिति के फलस्वरूप मात्र वायु सेना के हेलिकाप्टर से ही राहत सामग्री पहुंचायी गयी तथा लकड़ी की नाव की सहायता ली गयी। बाढ़ की विकरालता एवं पानी की गति तेज होने के कारण सेना की नाव की सहायता दिनांक 24.7.93 से ली गयी है। दिनांक 24.7.93 तक निम्नलिखित मात्रा में तैयार खाद्य सामग्री की प्राप्ति एवं वितरण बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के बीच निम्न प्रकार से की गयी है जिसमें अन्य जिलों से प्राप्त एवं स्थानीय स्तर पर किये गये परचेज भी सन्निहित हैं :-

क्रमांक	सामग्री का नाम	कुल प्राप्ति की मात्रा	कुल वितरण की मात्रा
1.	2.	3.	4.
1.	चूड़ा	926-01 क्विंटल में	652-92 क्विंटल में
2.	चना	381-75 ,,	100 (क्विंटल में)
3.	मोमबत्ती	150 पैकेट	150 पैकेट
4.	दियासलाई	4000 पीस	3138 पीस
5.	नमक	1400 पैकेट	1300 पैकेट
6.	गुड़	92-59	70-11
7.	सत्तू	89-45	शून्य
8.	किरासन तेल	12,000 लिटर	4000 लिटर

4. एक सप्ताह का मुफ्त खाद्यान्न सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण सहाय्य संहिता के अनुसार वितरण करने के लिये सभी प्रभावित अंचलों में उपलब्ध करा दिया गया है, जो निम्न प्रकार पूर्ण प्रभावित अंचलों के नाम के सामने दर्शाया गया है :-

क्र.	अंचल का नाम	कुल आबादी	कुल खाद्यान्न की मांग	सहाय्य मद में पूर्व से भंडारित गेहूँ की मात्रा	अंचल स्तर पर पूर्व से जवाहर रोजगार योजना का भंडारित गेहूँ	कुल	आवंटन की आवश्यक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	बैरगनियां	65,693	1023	200	220	420	603
2.	मेजरगंज	1,22,856	1921	200	510	710	1211
3.	रीगा	1,34,876	2110	200	560	760	1350
4.	पिपराही	1,25,551	1968	500	520	1020	948
5.	शिवहर	1,26,531	1984	500	500	1000	984
6.	बेलसंड	17,925	1543	300	485	785	758
7.	रून्नी सैदपुर	17,311	3417	400	960	1360	2057
8.	डुमरा	1,84,348	2898	100	760	860	2038
9.	तरियानी	1,11,529	1748	500	140	640	1108
10.	वथनाहा	1,44,000	2425	100	160	260	1165
		--------	----	---	---	----	----
			21057	3000	4815	7815	12222

उक्त अंचलों के पंचायतों में उपलब्ध जवाहर रोजगार योजना के गेहूँ की मात्रा तथा पंचायतों में उपलब्ध जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध मात्रा को मुफ्त वितरण करने हेतु आदेश दे दिया गया है। वितरण की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। सहाय्य मद में आवंटन उपलब्ध होने पर बाद में इसका सामंजन कर दिया जायेगा। फिलहाल तुरंत 12,222 क्विंटल गेहूँ की आवश्यकता है।

51 जिले के विभिन्न विभागों से भी क्षति के आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। परन्तु विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों का यह आंकड़ा मात्र अनुमानित है। सही

आंकड़ा आवागमन चालू होने पर उपलब्ध कराया जायेगा। पदाधिकारियों द्वारा एक सप्ताह में यह आंकड़ा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक, सीतामढ़ी :– जिले में कुल प्राथमि विद्यालयों की संख्या - 1237, मध्य विद्यालयों की 309, अनुमानित जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त विद्यालयों की संख्या मध्य विद्यालय- 128, प्रा॰ वि॰- 491, मरम्मति पर अनुमानित लागत 1,92,55,000/- रुपये होंगे।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सीतामढ़ी :– रोपे गये कुल पौधे की संख्या- 22,88,100 बाढ़ से अनुमानित क्षतिग्रस्त पौधे की संख्या- 14,55,430, क्षतिग्रस्त पौधे का प्रतिशत 63-60, कुल वित्तीय क्षति - 22,62,496 (अनुमानित)

सीतामढ़ी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक :– व्यापार मंडल सहयोग समिति के क्षतिग्रस्त गोदाम एवं मकान की संख्या-5, पैक्स-32, बुनकर सहयोग समिति-8, खाद की क्षति- 315 मे. टन, क्षति की आकलित राशि 24-80 लाख।

भवन प्रमंडल सीतामढ़ी :– प्रमंडल के अन्तर्गत भवनों की कुल संख्या-72, मरम्मति के बाद अनुमानित व्यय 17-80 लाख।

रा॰ ग्रा॰ नि॰ कार्यक्रम, सीतामढ़ी :– क्षति सम्बन्धी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अनुमानित लागत 37-67 लाख।

नलकूप प्रमंडल :– बाढ़ से क्षतिग्रस्त नलकूपों की संख्या-81, मरम्मति पर अनुमानित लागत 16-16 लाख।

लघु सिंचाई प्रमंडल, सीतामढ़ी :– प्रमंडल अन्तर्गत क्षतिग्रस्त योजनाओं की कुल संख्या-40, अनुमानित क्षति 12,02,000/- रु.।

जिला पशुपालन विभाग, सीतामढ़ी :– बाढ़ से प्रभावित प्रखंडों की संख्या-9, बाढ़ से प्रभावित पशुओं की संख्या- 3,36,000/- बाढ़ सहाय्य केन्द्रों की संख्या स्थायी- 16, अस्थायी- 19, प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सकों की संख्या- 22, कर्मचारियों की संख्या- 42, चिकित्सक पशुओं की संख्या- 318, टीकाकरण की संख्या- 12,205 पशु चारे के लिए व्यवस्था की जा रही है।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल :– पानी घटने के पश्चात् ही चापाकल का आकलन किया जायेगा। 20,090 चापाकलों में बाढ़ से दो हजार चापाकलों की वृहत मरम्मति की आवश्यकता होगी, जिस पर 35 लाख रुपये की अनुमानित लागत आयेगी।

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई	–335 कि॰ मी॰
पथ के ऊपर से पानी का बहाव –	58.98 कि॰ मी॰
बाढ़ से प्रभावित पथों की कुल लंबाई –	150 कि॰ मी॰
बाढ़ से कटे हुए स्थानों की संख्या –	72
बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल पुलियों की संख्या–	102
यातायात चालू करने के लिए अविलंब निधि की आवश्यकता	–40.10 लाख
क्षतिग्रस्त पुल पुलियों की मरम्मती के लिए निधि की आवश्यकता –	258.65 लाख

निधि नहीं उपलब्ध होने के कारण यातायात चालू करने में कठिनाई हो रही है।

(2) ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सीतामढ़ी

प्रमंडल के अन्तर्गत पथों की कुल लंबाई –	279.94 कि॰ मी॰
बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ की लंबाई –	103 कि॰ मी॰
यातायात चालू करने के लिए निधि की आवश्यकता –	18.54 लाख
पूर्ण रूप से पथों की मरम्मति के लिए निधि –	2.19 करोड़

(3) ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, शिवहर

प्रमंडल के अंतर्गत पथों की कुल लंबाई –	250.28 कि. मी.
क्षतिग्रस्त सड़कों की कुल लंबाई –	160 कि॰ मी॰
क्षतिग्रस्त पुल पुलियों की संख्या –	88
यातायात चालू करने के लिए अनुमानित निधि –	74.00 लाख
अनुमानित क्षति –	167.05 लाख

(4) जिला परिषद्, सीतामढ़ी

जिला परिषद् अन्तर्गत सड़कों की कुल लंबाई –	257.00 कि॰ मी॰
कुल क्षतिग्रस्त पथों की लंबाई –	156.00 कि॰ मी॰
क्षतिग्रस्त पुल पुलियों की संख्या –	100
मरम्मति पर अनुमानित लागत –	57.00 लाख
कुल मरम्मति पर निधि की आवश्यकता –	1.19 करोड़

WIRELESS MESSAGE

FROM :	TO
SHRI S.N. MATHUR,	DISTRATES,
JOINT SECRETARY TO GOVT.,	SITAMARHIèk
FINANCE DEPTT. BIHAR, PATNA.	MADHUBANI/EAST
	CHAMPARAN/
	DARBHANGA & SUPAUL
	REPEAT,
	TREASURY OFFICERS,
	SITAMARHI/MADHUBANI/
	EAST CHAMPARAN/
	DARBHANGA & SUPAUL.

No. M4-01/93/---------/F. PATNA, THE JULY, 1993

MESSAGE BEGINS (.) IT HAS BEEN DECIDED THAT BILLS PTERTAINING TO ALLOTMENT OF RS. 50 LAKHS EACH TO SITAMARHIèkMADHUBANIèkEAST CHAMPARANèk DARBHANGAèkAND SUPAUL MADE VIDE RELIEF DEPARTMENT TELEPRINTERèkWIRELESS MESSAGE 2089, AND NO. 2088 DATED 23.7.93 SHALL BE HONOURED AND PASSED FOR PAYMENT AFTER DUE SCRUTINY (.)

THERE WILL BE NO BAN OF THESE WITHDRAWALS (.) MESSAGE ENDS (.)

Officer-in-charge, Police Wireless, Patna
Please transmit the above message at once.

Sd./-
(S.N. Mathur),
Joint Secretary to Govt.,
Finance Deptt., Bihar, Patna.

Memo No. 5015/F. (2) Patna, the 23 July, 1993

Copy by post forwarded to District Magistratesèk Treasury Officers, Sitamarhi/ Darbhanga/ Madhubani/East Champaran & Supaul for information and necessary action.

(S. N. Mathur),
Joint Secretary to Govt.,
Finance Deptt. Bihar, Patna.

महोदय, यह घोषणा हम करना चाहते हैं कि तमाम इलाके में जो सम्पूर्ण लोग हैं, जिनके घरों में अनाज है उनको छोड़कर, यह उनके विवेक पर छोड़ देते हैं, फिलहॉल एक हफ्ते का मुफ्त में राशन वितरण करने के लिए हमने वायरलेस भिजवा दिया है। 600 करोड़ रुपया आ जाता है तो पूरा मुआवजा देंगे।

डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र : प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 50 हजार रुपया अनुदान देंगे जो बाढ़ से मर गये हैं वैसे लोगों को।

श्री लालू प्रसाद : जो बाढ़ से मरे हैं उनकी सूची आ जायेगी तो उनको वही सुविधा और वही राहत मुहैय्या आपके सुझाव पर हम करेंगे और एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि अगर उनका घर गिर गया है, हरिजन हैं, गरीब हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं और जिनका भैंस, गाय और बकरी दह गये हैं तथा जिनका मकान ध्वस्त हो गया है और जिनका मकान है ही नहीं उनको 10 हजार ही नहीं बल्कि 14 हजार 500 रुपया में उनको पक्का मकान बना देंगे इसके लिए पूरे बिहार में आदेश दिया है। मुशहर, हरिजन, डोम और जो गरीब हैं उनको हम पक्का मकान बनवा देंगे और यदि पानी आयेगा तो वे नीचे से सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जायेंगे। इस काम में हमलोग लगे हुए हैं।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 1993 के 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

पटना
दिनांक - 27 जुलाई 1993

युगल किशोर प्रसाद
सचिव
बिहार विधान सभा

दैनिक निबंध

बृहस्पतिवार, तिथि 27 जुलाई, 1993 ई०

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :

माननीय सदस्य श्री राजो सिंह द्वारा यथा प्रस्तुत दिनांक 26 जुलाई 1993 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई।

सभा-मेज पर कागजात का रखा जाना एवं तत्सम्बन्धी प्रस्ताव :

संसदीय कार्य मंत्री, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद [5][2] के अनुसरण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-5 (वाणिज्यिक) बिहार सरकार, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राज्यपाल के पास भेजा है, को सभा की मेज पर रखा।

तत्पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना दी कि बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-241 (ख) के अधीन इन पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन यथा समय सभा में उपस्थापित किया जायेगा।

इस क्रम में संसदीय कार्य मंत्री, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने प्रस्ताव किया कि ''भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-5 (वाणिज्यिक), बिहार सरकार, विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उस पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

उक्त प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

शून्य-काल :

शून्य-काल प्रारम्भ होते ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए एवं अलग वनांचल राज्य की मांग से सम्बन्धित नारेबाजी करने लगे।

माननीय मुख्यमंत्री ने अलग झारखण्ड राज्य के मुद्दे पर अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराया। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने सदन द्वारा पूर्व

में पारित झारखण्ड विकास परिषद् विधेयक को भारत सरकार द्वारा विचार वापस लौटाए जाने की बात कही। इस पर नेता, विरोधी दल, डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र ने संविधान के अनुच्छेद-200 एवं 201 का हवाला देते हुए कहा कि उक्त विधेयक पर जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तरफ से औपचारिक रूप से कोई सूचना सदन को नहीं मिलती है, तब तक इस सदन में चर्चा, नहीं होनी चाहिए। इसका समर्थन श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह एवं श्री राजो सिंह, सभासदों ने भी किया।

इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी कानून का जिक्र नहीं किया है बल्कि उन्होंने इस सम्बन्ध में केवल स्थिति स्पष्ट करनी चाही है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि सरकार संविधान-सम्मत कार्रवाई ही करेगी।

उधर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण अलग वनांचल राज्य की मांग करते हुए इस पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग करते रहे एवं अंत्तः नारे लगाते हुए सदन से "वाक-आउट" कर गए।

इसके अलावे शून्य काल की चर्चा के अन्तर्गत सर्वश्री रघुनाथ प्रसाद सोडानी, उदय नारायण चौधरी, अवंध बिहारी चौधरी, वासुदेव सिंह, अवधेश राय, लालबाबू प्रसाद, ज्ञानेश्वर यादव, गिरिनाथ सिंह, शकील अहमद, बच्चा चौबे, सत्य नारायण सिंह, रामनाथ यादव, अनूपलाल यादव, विजय शंकर दूबे, विजय कुमार चौधरी एवं जगदीश शर्मा सभासदों ने लोक महत्व की विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए उनके समुचित निदान हेतु सरकार से मांग की।

शून्य काल के अन्तर्गत ही माननीय सदस्य श्री मदन प्रसाद जायसवाल ने अध्यक्षीय कक्ष के सामने श्री दीनानाथ पाण्डेय, स. वि. स. द्वारा टाटा-प्रबंधन के खिलाफ किए जा रहे अनशन की चर्चा की।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने पिछले दिनों अध्यक्षीय कक्ष के सामने श्री दशरथ कुमार सिंह द्वारा किए गए अनशन की चर्चा करते हुए कहा कि उसी वक्त यह बात तय हो गई थी कि अब कोई माननीय सदस्य अध्यक्षीय कक्ष के सामने अनशन पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने माननीय सदस्य श्री मदन प्रसाद जायसवाल से अनुरोध किया कि वे उनकी तरफ से श्री दीनानाथ पाण्डेय, स. वि. स. से आग्रह करें कि वे वहां से अपना अनशन खत्म कर दें।

माननीय मुख्य मंत्री ने संक्षिप्त रूप से सम्बन्धित समस्या की चर्चा करते हुए इस सम्बन्ध में बैठक बुलाने की बात कही एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा कहे गए उपर्युक्त बातों का समर्थन किया।

याचिकाओं का उपस्थापन :

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में पठित निम्नांकित माननीय सदस्यों की उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत याचिकाएँ सभा की सहमति से उपस्थापित समझी गईं :–

क्रमांक	सदस्य का नाम	स्वीकृत याचिकाओं की संख्या
1.	श्री सुशील कुमार मोदी	02
2.	श्री बीरेन्द्र कुमा सिंह	01
3.	श्री प्रभुनाथ सिंह	01
4.	श्री अब्दुल जलील	01
5.	श्रीमती ज्योति	01
6.	श्री गिरिनाथ सिंह	01
7.	श्री जगदीश शर्मा	01
8.	श्री दशरथ कुमार सिंह	01
		कुल - 09 याचिकाएँ

निवेदन :

अध्यक्ष महोदय ने सदन में सूचना दी कि आज के लिए स्वीकृत कुल–30 निवेदनों को सदन की सहमति से आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित विभागों में भेज दिया जायेगा।

(अन्तराल)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

वित्तीय कार्य :

वित्तीय वर्ष–1993–94 में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर मतदान :

"मंत्रि परिषद्, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन":

उपर्युक्त मांग एवं इसके अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर दिनांक- 26

जुलाई, 1993 ई. से जारी वाद-विवाद आज पुनः प्रारम्भ हुआ जिसमें प्रथमतः माननीय सदस्य श्री कमल पासवान ने अपना कल से जारी असमाप्त भाषण पूरा किया।

उनके अतिरिक्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री मदन प्रसाद जायसवाल
(2) श्री राम जतन सिंहा
(3) श्री राम विनोद पासवान
(4) श्री हेमलाल मुरमू
(5) श्री रणबीर यादव
(6) श्री टेकलाल महतो
(7) श्री आनन्द महतो
(8) श्री अजीत सरकार
(9) श्री उदय नारायण चौधरी

(इस अवसर पर सभापति, श्री राजो सिंह ने आसन ग्रहण किया)

(10) श्री विजय शंकर दूबे
(11) श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह,
(12) श्री रवीन्द्रचरण यादव
(13) श्री मोईदुर्र रहमान
(14) श्री माधव लाल सिंह
(15) श्री राम शरण यादव
(16) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
(17) श्री गौर हरिजन,
(18) श्री मानिकचन्द राम
(19) श्री शिवधार पासवान
(20) श्री सुशील कुमार मोदी

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद के सरकारी उत्तरोपरांत माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ एवं "मंत्रिपरिषद्, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन" सम्बन्धी मांग सभा द्वारा स्वीकृत हुई।

उल्लेखनीय है कि सरकारी उत्तर पर असंतोष प्रकट करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

इसके बाद वित्तीय वर्ष 1993-94 में सम्मिलित शेष 32 अनुदानों की माँग मुखबन्द (गिलोटीन) से सभा द्वारा स्वीकृत हुई।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :

माननीय सदस्य श्री अम्बिका प्रसाद के प्रस्ताव पर "राज्य में बाढ़ से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विमर्श प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लियाः–

(1) श्री अम्बिका प्रसाद

(इस अवसर पर सभापति श्री राधाकन्त यादव ने आसन ग्रहण किया।)

(2) डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र
(3) श्री रघुनाथ झा
(4) श्री स्वामीनाथ तिवारी
(5) श्री रामाश्रय सिंह
(6) श्री नवल किशोर शाही
(7) श्री युगेश्वर झा
(8) श्री रेवाकान्त द्विवेदी
(9) श्री अवनीश कुमार सिंह,
(10) श्री राम प्रकाश महतो
(11) श्री श्याम नारायण प्रसाद
(12) श्री लाल बाबू प्रसाद
(13) श्री शाहिद अली खान
(14) श्री रामजीवन प्रसाद
(15) श्री राम परीक्षण साहू
(16) श्री लाल बिहारी यादव एवं
(17) श्री राम कुमार यादव।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसंन ग्रहण किया)

माननीय मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद के सरकारी उत्तर के उपरांत विमर्श स्वतः समाप्त हो गया।

उल्लेखनीय है कि सरकारी उत्तर पर असंतोष प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक– 28 जुलाई, 1993 ई. के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गई।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 एवं 296 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित।

निजी प्रेस वातायन, फ्रेजर रोड, पटना–1 द्वारा मुद्रित।